घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 171- गुरूवार 23 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मोदी को आतंकी कहने पर खड़गे को चुनाव आयोग का नोटिस

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। देश के चुनावी माहौल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आतंकवादी वाली टिप्पणी ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खरगे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर गहरा संज्ञान लिया और मामले में नोटिस जारी किया। आयोग के अधिकारियों के अनुसार,इस बयान को आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना गया है। नोटिस में खरगे से अगले 24 घंटों के भीतर अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यह नोटिस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पहले आया है।

विवाद बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या सफाई दी थी?

जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने इस आतंकवादी शब्द के इस्तेमाल पर स्पष्टीकरण मांगा, तो खरगे ने अपने बयान का संदर्भ बदलने की कोशिश की। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब यह था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आतंकित कर रहे हैं। खरगे ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं। मेरा मतलब यह है कि वह अपनी शक्ति और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षी दलों को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है।

खरगे ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आखिर क्या टिप्पणी की थी?

विवाद की शुरुआत मंगलवार को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। खरगे वहां अन्नाद्रमुक और भाजपा के गठबंधन की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने पेरियार और सी.एन. अन्नादुराई की द्रविड़ विचारधारा का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि अन्नाद्रमुक के लोग मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि ये अन्नाद्रमुक के लोग... वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं... वह समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया।

मोदी को 'आतंकवादी' कहा था,रिजिजू बोले...मोदी के नेतृत्व में ही सारे आतंकियों को खत्म करेंगे

भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी को आतंकी कहने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिजिजू ने कहा कि मोदी को आतंकी कहा लेकिन हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सारे आतंकियों को खत्म करेंगे। कांग्रेस को देश की जनता सबक सिखाएगी। वहीं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने भाजपा पर वोटर्स को लाने-ले जाने के लिए सूरत से स्पेशल ट्रेनें अरेंज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लेटर लिखकर कहा कि यह चुनाव कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि यह रिश्वतखोरी और गलत असर डालने जैसा है और इसमें नोटिस, केस रजिस्टर करने और चुनाव अकाउंट में संबंधित खर्चों को शामिल करने सहित कार्रवाई की मांग की गई है।

बीजेपी ने जताई नाराजगी : इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू खुद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई बड़े नेता शामिल थे। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। उन्होंने इसे 'अत्यंत आपत्तिजनक' बताया और कहा कि ऐसी भाषा देश की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी दल ने पहले कभी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। रिजिजू ने चुनाव आयोग से मांग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की गरिमा से जुड़ा सवाल है।

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु,पश्चिम बंगाल में 1,000 करोड़ से अधिक की जब्ती की...

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों राज्यों में अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की है। इसमें नकदी,शराब,ड्रग्स,कीमती धातु और अन्य कई चीजें हैं। आयोग ने कहा कि चुनावों को हिंसा-मुक्त,भय-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त बनाने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 27.48 करोड़ रुपये नकद,39 लाख लीटर शराब (मूल्य 102.45 करोड़ रुपये),108.11 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स, 55.88 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु और 178.83 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य फ्रीबीज़ जब्त किए गए। कुल मिलाकर राज्य में 472.89 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। तमिलनाडु में 100.19 करोड़ रुपये नकद, 1.17 लाख लीटर शराब (मूल्य 3.85 करोड़ रुपये), 76.72 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स, 159.31 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु और 259.14 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य फ्रीबीज़ जब्त किए गए। कुल मिलाकर राज्य में 599.24 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को तैनात किया गया है, जो शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों में कुल 5,363 स्थिर निगरानी टीमों को भी तैनात किया गया है।

दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या

घर में शव मिला,यौन उत्पीड़न की आशंका,नौकर पर शक,डेढ़ महीने पहले काम से निकाला था

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक सीनियर आईआरएस अफसर के घर में उनकी 22 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को घटना की जानकारी दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती के साथ पहले यौन उत्पीड़न किया गया और फिर मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार ने घर के एक पुराने नौकर पर शक जताया है,जिसे करीब डेढ़ महीने पहले काम से निकाला गया था। संदिग्ध आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

परिजनों को घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिली युवती

अधिकारियों के अनुसार,युवती घटना के समय घर में अकेली थी। परिवार के अन्य लोग कहां थे,इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक, युवती को उसके परिजनों ने घर के अंदर संदिग्ध हालत में पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आगे की जांच जारी है। आईआरएस अफसर के घर बड़ी संख्या में पुलिसबल मौजूद हैं। घटना को लेकर अभी और जानकारी नहीं आई है।

2 दिन पहले कार पार्किंग को लेकर बिजनेसमैन की हत्या हुई थी : दिल्ली में दो दिन पहले सोमवार को कार पार्किंग विवाद में 34 साल के कपड़ा व्यापारी पंकज नैयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी गौरव शर्मा (42) का सौतेला बेटा भी शामिल है। गौरव और मृतक दोनों के बीच प्रीत विहार इलाके में अपने घर के बाहर टोयोटा फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू कार पार्क करने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में एक तरफ पंकज और उनके भाई पारस नैयर और दूसरी तरफ गौरव, उसके साथी शामिल थे।

सत्ता में आने पर आर्थिक पुनरुद्धार और औद्योगिक विकास पहली प्राथमिकता होगी : अमित शाह

कोलकाता,22 अप्रैल 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं बल्कि अवैध घुसपैठ,भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध जनमत है। उत्तर 24 परगना जिले के दमदम (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में मतदाता जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का बटन दबाएंगे,तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए नहीं होगा, बल्कि अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ मतदान होगा। अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रभाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अप्रासंगिक बयान देने लगे हैं। शाह ने दावा किया कि असम में कांग्रेस को अब तक का सबसे खराब परिणाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खाता खोल सकती है लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में वह दोहरे अंक तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अवैध घुसपैठियों को शरण देने के लिए कोलकाता को झुग्गियों का शहर बना दिया है। शाह ने कहा कि संदेशखाली समेत राज्य के कई इलाकों में महिलाएं अवैध घुसपैठियों से परेशान हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कई घुसपैठिए आज तृणमूल कांग्रेस के नेता बन चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में आर्थिक पुनरुद्धार और औद्योगिक विकास होगा।

गुजरात के वलसाड में ब्रेक फेल होने के बाद पिकअप वाहन पलटा,6 की मौत

वलसाड,22 अप्रैल 2026। गुजरात के वलसाड जिले में बुधवार को यात्रियों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया,जिससे उसमें बैठे 6 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा कपराडा तालुका के वीरक्षेत्र गांव में हुआ है। घटना के समय पिकअप पर 28 यात्री सवार थे। कम से कम 20 लोगों को गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पिकअप वाहन में सवार लोग वीरक्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते समय अचानक वाहन का ब्रेक फेल हो गया। इस बीच, चालक ने वाहन के स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो दिया।

मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा मोड़...बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को किया बरी

मुंबई,22 अप्रैल 2026। वर्ष 2006 के बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने इनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द कर दिया,जिसके साथ ही इन आरोपियों पर चल रहा मुकदमा भी समाप्त हो गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक की डिवीजन बेंच ने यह फैसला आरोपियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनाया। इन अपीलों में सितंबर 2025 में विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप तय किए गए थे। अदालत ने न केवल आरोप तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए तर्कों को स्वीकार किया, बल्कि मामले में सह-आरोपियों को पहले ही बरी किए जाने के पहलू को भी ध्यान में रखा। जिन चार आरोपियों को इस फैसले में राहत मिली है,उनमें राजेंद्र चौधरी,धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पूरी तरह समाप्त हो गई है। इससे पहले अदालत ने अपील दायर करने में हुई 49 दिनों की देरी को भी माफ कर दिया था। बेंच ने माना कि यह अपील राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम की धारा 21 के तहत एक वैधानिक अपील है, इसलिए देरी को स्वीकार किया जाना उचित है। गौरतलब है कि मालेगांव में 8 सितंबर 2006 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 37 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस घटना के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आई-पीएसी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुख्यमंत्री जांच में हस्तक्षेप कर लोकतंत्र खतरे में नहीं डाल सकता...

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यों से लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोर्ट ने कहा, राज्य का मुख्यमंत्री जांच के बीच में आकर लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकता और यह नहीं कह सकता कि इसे राज्य और केंद्र के बीच का विवाद न बनाएं। कोर्ट ने कहा,यह अपने आप में एक ऐसा कृत्य है जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए किया गया है। आपने हमें सीरवाई और अंबेडकर के बारे में बताया,लेकिन उनमें से किसी ने भी इस देश में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन कोई मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसा करेगा। कोर्ट इस दलील से भी सहमत नहीं हुआ कि अनुच्छेद 32 से जुड़े प्रश्नों का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकतों से आंखें नहीं मूंद सकता। कोर्ट ने कहा, जिस दूसरी पीठ के समक्ष एफआईआर का मामला विचाराधीन है,वहां हमने देखा है कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। हम वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकते।

दस वर्षों में ट्रेन हादसों में आई 90प्रतिशत कमी,अब सिंगल डिजिट का लक्ष्य : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर्स कॉन्फ्रेंस' में भारतीय रेलवे के भविष्य को लेकर कई बड़ी बातें कहीं। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में रेल हादसों में करीब 90 फीसदी की कमी आई है। रेल मंत्री ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमें यहीं नहीं रुकना है। अब सरकार का लक्ष्य रेल हादसों की संख्या को घटाकर इकाई (सिंगल डिजिट) में लाना है। उन्होंने कहा सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे के सुरक्षा स्तर को विकसित देशों के बराबर पहुंचाना है। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रेल मंत्री ने पटरियों के आधुनिकीकरण को भी जरूरी बताया। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले दस वर्षों में लगभग 36,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। पटरियों की बेहतर देखरेख के लिए अभी रेलवे के पास करीब 1,800 ट्रैक मशीनें हैं। सरकार इन मशीनों की संख्या बढ़ाकर 3,000 करना चाहती है। जब मशीनों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच जाएगी, तो पटरियों की जांच और मरम्मत से जुड़ी पुरानी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। रेलवे अब पटरियों की देखरेख के लिए 'रेल-कम-रोड व्हीकल' नाम का नया मॉडल ला रहा है। इस सिस्टम में कर्मचारी अपने सभी औजार और सामान सीधे गाड़ी में लोड कर सकेंगे। सीधे ट्रैक पर जा सकेंगे और आराम से बैठकर पटरियों की जांच कर सकेंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट भावनगर डिवीजन में शुरू किया जा रहा है। वहां कड़ी टेस्टिंग के बाद दो 'रेल-कम-रोड व्हीकल' तैनात किए गए हैं। यह नया तरीका पुराने और कठिन काम करने के ढंग को पूरी तरह बदल देगा। इससे काम करना ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक होगा। इसके अलावा, पटरियों की जांच में ड्रोन तकनीक और नए तरह के गेज की मदद ली जा रही है। इन नए गेज से पटरियों के मोड़ और क्रॉसिंग की सटीक माप ली जा सकेगी। पहले जो काम अंदाजे से होते थे, अब वे पूरी सटीकता से होंगे। देश भर में अब आधुनिक ट्रैक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इनमें 60 किलो वाली रेल, 90 यूटीएस मजबूती वाली रेल और 207 मीटर लंबे रेल पैनल शामिल हैं। पटरियों के मोड़ पर घर्षण मुक्त स्विच लगाए जा रहे हैं और 'वेल्डेबल सीएमएस' का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इन सभी आधुनिक तकनीकों को पूरे देश में लागू करना है। रेल मंत्री ने जोर दिया कि रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'रक्षक' नाम का एक सिस्टम लागू किया गया था, जो वीएचएफ तकनीक पर आधारित था। हालांकि, इस सिस्टम में कुछ चुनौतियां सामने आईं। कई जगहों पर, जैसे कि घुमावदार पटरियों,पहाड़ी इलाकों या लंबी दूरी पर सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते थे। इससे जानकारी मिलने में देरी होती थी और हादसों का खतरा बढ़ जाता था।

संक्षिप्त समाचार

जदयू की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान...संजय झा फिर बने कार्यकारी अध्यक्ष

पटना,22 अप्रैल 2026। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू)) ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल को आगामी चुनावों के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जदयू की नई टीम में संजय झा को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुमन को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत इस बार 12 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव और 8 नेताओं को सचिव बनाया है। महासचिव बनाए गए नेताओं में मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, श्याम रजक, अशोक चौधरी, रोशन सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, कविता देवी, कपिल हंसदेव पटेल, राज सिंह मान, सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर सुनील, हर्षवर्धन सिंह और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी शामिल हैं। इसके अलावा राजीव रंजन प्रसाद को प्रवक्ता सह सचिव बनाया गया है। अन्य सचिवों में रवींद्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर निषाद, दयानंद राय, संजय कुमार, मोहम्मद निसार, रूबी नागवंश और निवेदिता कुमारी (कटिहार) को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का मानना है कि इस नए संगठनात्मक ढांचे से जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत होगी और चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी

राहुल बोले...दोषियों को माफ नहीं करेगा भारत,शहीदों के परिवार का दुःख देश का दुःख

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने पोस्ट में राहुल ने कहा कि देश इस कायराना हमले को कभी नहीं भूलेगा और दोषियों को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों के परिवारों का दुख पूरे देश का दुख है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पिछले साल पहलगाम में हुए हमले में जिन बहादुर लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी याद आज भी दिल को झकझोर देती है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की शहादत हमेशा देश की आत्मा में दर्ज रहेगी और भारत आतंक और नफरत फैलाने वाली ताकतों के सामने कभी नहीं झुकेगा।

देश कभी नहीं भूलेगा : खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 2025 में हुए इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश हमेशा उनके साथ खड़ा है।

हर-हर महादेव के जयकारों के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज पूर्ण विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए गए। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया,जिससे पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड की दिव्य भूमि पर चारधाम यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वहीं,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है, जो भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन कराती है। उन्होंने सभी यात्रियों की सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना की।

संपादकीय

आतंक और कट्टरपंथ की विषबेल

एक वर्ष पहले आज ही पहलगाम में 25 पर्यटकों को उनके स्वजनों के सामने उनका मजहब पूछकर गोलियों से भून दिया गया था। इस वहशी घटना पर देश भर में रोष-आक्रोश व्यक्त किया गया था और फिर आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया था। पहलगाम में पाकिस्तान से आए तीन आतंकी निर्दोष-निहत्थे लोगों को इसलिए आसानी से मारने में सफल रहे थे,क्योंकि चार स्थानीय तत्वों ने उन्हें संरक्षण दिया था। आपरेशन सिंदूर में पस्त होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है और न ही उन आतंकी तत्वों के दुस्साहस में कोई कमी आई है, जो उसके इशारे पर अथवा अपने स्तर पर या फिर लोन वुल्फ बनकर आतंकी हमलों की साजिश रचते रहते हैं। इसका उदाहरण था डाक्टरों के आतंकी गुट की ओर से पिछले साल नवंबर में दिल्ली में लाल किले के निकट कार बम विस्फोट।

देश भर में रह-रहकर आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए जाने का सिलसिला कायम ही रहता है। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी का अनवरत क्रम यही बताता है कि वे विषबेल की तरह बढ़ते जा रहे हैं। गत दिवस गुजरात पुलिस ने इरफान खान और मुर्शीद जाहिद को गिरफ्तार किया। ये सेल्फ रेडिक्लाइज्ड होकर गजवा हिंद का तानाबाना बुन रहे थे। 18 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस्लामिक स्टेट (आइएस) से कुप्रभावित चार संदिग्ध आतंकियों को महाराष्ट्र,ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया। उनके दस अन्य साथियों की तलाश है। पकड़े गए आतंकियों का इरादा राम मंदिर,संसद भवन और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का था। इनका लक्ष्य देश में खिलाफत यानी इस्लामी राज स्थापित करना था।

बीते कुछ समय में भारत को इस्लामी देश बनाने या फिर गजवा हिंद के फितूर से ग्रस्त इतने अधिक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं कि उनकी गिनती करना कठिन है। इनमें से कोई आइएस से कुप्रेरित होता है,कोई अलकायदा से तो कोई जैश या लश्कर से। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो सिमी या पीएफआइ जैसा अपना ही कोई आतंकी गुट बना लेते हैं। सबका मकसद एक ही होता है- भारत को इस्लामी देश बनाना या गजवा हिंद करना। पता नहीं उनकी कुप्रेरणा के स्रोत क्या हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि सबके सब इस मजहबी सनक से ग्रस्त हैं कि आतंक के सहारे भारत को इस्लामी देश बनाया जा सकता है।

शायद ही कोई माह ऐसा होता हो, जब अंध मजहबी सनक से ग्रस्त संदिग्ध आतंकी देश के किसी न किसी हिस्से में गिरफ्तार न किए जाते हों। इसी चार अप्रैल को दिल्ली और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुशीनगर से आइएस से जुड़े रिजवान अहमद को पकड़ा गया। वह आतंकियों की भर्ती में जुटा था। 30 मार्च को लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया। वह दिल्ली में मेट्रो पर आतंक समर्थक पोस्टर चिपकाने वाले माड्यूल का मुख्य आरोपी था। मार्च से पहले फरवरी और जनवरी में भी देश के कई हिस्सों से संदिग्ध आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। समस्या भारत में जिहाद करके उसे इस्लामी राज बनाने का मुगालता पालने वाले तत्व ही नहीं हैं।

समस्या वे भी हैं,जो छल-बल,लोभ-लालच,प्रेम-प्रसंग के जरिये मतांतरण कराकर भारत को इस्लामी देश बनाने के इरादे से लैस हैं,जैसे टीसीएस नाशिक के कर्मचारी। ये भी अपनी तरह से जिहाद ही कर रहे थे। वस्तुतः ऐसे जिहादी तत्व भी विषबेल बन गए हैं और वे भी रह-रहकर गिरफ्त में आते रहते हैं। टीसीएस नाशिक में मानसिक प्रताड़ना और प्रेमजाल के सहारे हिंदू युवतियों को इस्लाम में मतांतरित करने की कोशिश के मामले की पूरी परतें अभी खुली भी नहीं थीं कि नागपुर में एक एनजीओ का संचालक रियाज कादरी पकड़ा गया, जिस पर वहां काम करने वाली हिंदू युवतियों ने आरोप लगाया कि वह उन्हें रोजा रखने, नमाज पढ़ने और खुदा हाफिज बोलने को कहता था।

इन युवतियों ने उस पर यौन शोषण करने और इस्लाम में मतांतरित होने के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए। इससे संगीन और सनसनीखेज मामला भोपाल का है। यहां स्पा और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मुस्लिम युवतियां गरीब हिंदू युवतियों को नौकरी पर रखतीं। फिर अपने साथियों से उनका यौन शोषण करातीं और उनके वीडियो बनाकर उन्हें मुस्लिम बनने को कहतीं। इस गिरोह ने इसी तरह की ब्लैकमेलिंग से तीन नाबालिग हिंदू युवतियों को मतांतरित कर भी लिया था। इस पर हैरान न हों कि अब मुस्लिम युवतियां भी जिहाद में हाथ बंटाने को तैयार हैं।

इस्लामी कट्टरपन आतंक को खाद-पानी देने के साथ संभावित आतंकियों की पौध को भी तैयार करने का काम करता है। पूरी दुनिया में जिहाद आतंक का पर्याय है। इसका प्रमाण यह है कि कई इस्लामिक आतंकी गुटों ने अपने नाम में ही जिहाद शब्द नत्थी कर रखा है,जैसे जमात अल-तौहीद वल-जिहाद और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी। इसके बाद भी जिहाद को पवित्र बताकर लोगों को भरमाने की कोशिश की जाती है। याद करें लाल किला बम विस्फोट कांड के कुछ ही दिन बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने किस तरह जिहाद को पाक बताते हुए कहा था, यह जुल्म और हिंसा को खत्म करने के लिए किया जाता है। उन्होंने चेताया था कि जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा। ऐसे बयान जिहादी तत्वों को बल ही प्रदान करते हैं।

किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता हम लिखते हैं, हमारे कर्मों का जो फल होता है वही किस्मत कहलाता है।

किताबों की बेशकीमती ताकत को पहचानो

डॉ. प्रीतम भि.गेडाम

1995 से हर साल यूनेस्को 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाता है, 100 से ज़्यादा देशों में पढ़ने,प्रकाशन और प्रकाशनाधिकार को बढ़ावा देता है। यह विशेष दिवस हमें पुस्तकों के करीब जाकर उसकी महत्ता को जीवन में उतारने के लक्ष्य को साधने के लिए प्रेरित करता हैं। इस साल 2026 के लिए विश्व पुस्तक दिवस की थीम, अपनी शैलीनुसार पढ़ें यह है, जो पढ़ने के शौक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह शैली दर्शाती है कि,जिस प्रकार के भी साहित्य में रूचि हो,वह पढ़ें,पढ़ने की आदत डालें। पुस्तकें जीवन का प्रतिबिंब होती है,सच और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पुस्तकें प्रेरित करती हैं। दुनिया भर के महानतम व्यक्ति अपनी खास उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुए। पैसा,शोहरत,नाम,काम और व्यस्तता के बावजूद और हर मिनट के लाखों रुपये कमानेवाले उद्योगपति, खेल जगत के खिलाडी, नेता और फिल्मी नायक भी पुस्तकें पढ़ने के लिए रोजाना अपना कीमती समय थोड़ा ही सही लेकिन निकालते जरूर हैं।

क्या हम कभी पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक समस्या से जूझने पर अपना एक वक्त का भोजन छो कर उससे पैसे बचाकर पुस्तकें खरीदने की कोशिश की हैं। विश्व में ज्ञान का प्रतिक कहलानेवाले भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने तंगी के दिनों में पुस्तकें खरीदने के लिए एक वक्त का भोजन तक त्याग दिया था,ताकि ज्ञानरूपी पुस्तकों का तेज आत्मसात कर सकें,ये होता है किताब के प्रति जूनून और किताब की महत्ता की समझ। अधिकतर बड़े-बड़े लोग अक्सर अपने घर में ही पुस्तकों का संग्रह बना लेते है, अर्थात निजी पुस्तकालय के तौर पर। पुस्तकों से बेहतर दुनिया में कोई साथी नहीं होता,पुस्तकें हमेशा हमें योग्य दिशा में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करते है, पुस्तकें हमारे खाली समय को ज्ञान से सींचते है,बुद्धि को तिष्ण,जागरूक, समझदार बनाकर सत्य और असत्य के बिच अंतर करना सिखाते हैं। हम पुस्तकों और शिक्षा के बल पर दुनियाभर में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

विश्व पुस्तक दिवस पढ़ने, किताबें, प्रकाशन,लेखक सम्मान और प्रतिलिप्यधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता हैं। आधुनिक ज़िंदगी में किताबों की अहमियत आज भी अद्वितीय हैं। किताबें हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं,मनोरंजन करती हैं और अलग-अलग भाषाओं,संस्कृतियों और पीढ़ियों से जोड़ती हैं। किताबों को सभी उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा आसान बनाना,विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस का उद्देश्य पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देना,प्रकाशन व साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाना,बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता निर्माण करना,साथ ही समाज के प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तकों तक सहज उपलब्धता लाना मुख्य उद्देश्य हैं। पुस्तकें कल्पना और सर्जनशीलता विकसित कर भाषा और संवाद कौशल बेहतर बनाती है,संस्कृति और इतिहास का जतन करके अलग-अलग पीढ़ियों के पाठकों को आपस में जोड़ती है, साथ ही शिक्षा और जिंदगी भर सीखने में मदद करती हैं। नियमित पाठन से शब्दसंग्रह,एकाग्रता,आत्म विश्वास और विचारशक्ती कौशल बेहतर होती हैं।

आज विश्व किताब दिवस किताबों की खुशी और ताकत का जश्न मनाने का एक शानदार मौका हैं। पसंदीदा एक नई किताब पढ़कर,पुस्तकालयों को भेट देकर,दोस्तों रिश्तेदारों या परिचितों से किताबों का आदान-प्रदान करके अथवा किसी में पढ़ने की ललक जगाकर यह दिन मनाया जाना चाहिए। अपनी पसंदीदा पुस्तकों के बारे में अन्य लोगों या मित्रों से विचार-विमर्श करना चाहिए, हमें यह पुस्तक क्यों पसंद है एवं अन्य पाठकों को भी यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए,ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर वह पुस्तक पढ़ने के लिए उत्सुक हों। अच्छी किताबों को हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए,ताकि योग्य किताबें पाठकों तक आसानी से पहुंच सकें,जो मनुष्य किताबों से दोस्ती करता है,उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने से कभी कोई रोक नहीं सकता,किताबों में समस्या का समाधान छुपा होता हैं। किताबें कभी कोई शिकायत नहीं करती,वें बस निरंतर ज्ञान की गंगा बहाते चलती हैं। जिसने उसे अपनाया जो सवर गया,जिसने किताबों की महत्ता नहीं समझी वो पिछड़ गया।

आज के इंटरनेट के जमाने में पुस्तकों का स्वरूप डिजिटल हुआ है,एक क्लिक पर पुस्तकें हमें सहज उपलब्ध हो जाती है,अर्थात पुस्तकों तक सहज पहुंच होने के बावजूद आज पाठ्य संस्कृति कमजोर होती नजर आती हैं। देश गुणवत्ताहीन डिग्रीधारी युवाओं को बनाने की फैक्ट्री बन गया है,जो साल दर साल बेरोजगारी की बाढ़ लाता हैं। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की गिरफ्त में फंसती जा रही है,पढाई के नाम पर किताबों के बजाय शॉर्टकट नोट्स पर आधारित रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट नोट्स विद्यार्थियों को केवल कुछ सवालों के मर्यादित जवाब प्रदान करते है और सिर्फ नाममात्र की पदवी प्राप्त करने में सहयोगी है,परंतु विषय के गहन ज्ञान की बात करे या जीवन के हर पे ाव पर उस ज्ञान के महत्ता पर बात करे तो यही विद्यार्थी फिसड्डी साबित होते है,क्योंकि युवाओं ने गहन ज्ञान रूपी किताबों की महत्ता को न समझा,न पढ़ा कभी। ऐसे माहौल में जब जीवन की परिस्थितियां असंगत या मुश्किलों का दौर आता है तो मनुष्य डगमगाता है, समस्याओं को आसानी से हल करने के बजाय उससे भागता है,जिसके कारण हताशा, आत्महत्या,अपराध और नशा खोरी की समस्याओं का तेजी से जन्म होता है और जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता हैं। किताबें हर मुश्किल में साथ निभाते है,जिसने इन्हें जान लिया वें फिर किसी समस्या में फसते नहीं है क्योंकि सफलता उनके कदम चूमती हैं। सबसे पहले किताबें पढ़ने की आदत डालें,समय का सदुपयोग करें, ज्ञानी और जागरूक बने एवं जीवनभर किताबों से दोस्ती निभाओं,फिर किताबें हमेशा हमारा साथ निभाएंगे। यह एक सुखी, संतुष्ट और सफल जीवन जीने का बहुत आसान तरीका हैं।

भारत में तम्बाकू की समस्या

सुभाष बुड़ावनवाला
रतलाम,मध्यप्रदेश

महोदय, भारत में तंबाकू की समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है,बल्कि यह गहराई से सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी प्रभावित करती है। ICMR-NICPR और TISS के शोध इस बात को रेखांकित करते हैं कि तंबाकू पर होने वाला खर्च लाखों परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देता है। भारत में लगभग 26.7 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में शामिल हो गया है।

तंबाकू का आर्थिक प्रभाव अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निम्न-आय वर्ग के परिवार अपनी मासिक आय का लगभग 6-7 प्रतिशत हिस्सा बीड़ी,सिगरेट और गुटखा जैसे उत्पादों पर खर्च करते हैं। यह वह पैसा है जो बच्चों की शिक्षा,पौष्टिक भोजन या स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया जा सकता था। हाल के अध्ययनों में यह सामने आया है कि यदि तंबाकू पर खर्च होने वाली राशि को बुनियादी जरूरतों में निवेश किया जाए, तो लगभग 10 प्रतिशत भारतीय परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि तंबाकू केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास में बाधा भी है।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तंबाकू का सेवन कैंसर,हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है। भारत में हर साल लाखों लोग तंबाकू-जनित बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ Organization के अनुसार, तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च विकासशील देशों में परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है। भारत में भी यही स्थिति है, जहां इलाज का खर्च कई बार परिवारों को कर्ज में डुबो देता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर का है, यानी ऐसा स्वास्थ्य खर्च जो परिवार की आर्थिक स्थिरता को हिला देता है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज में लंबा समय और महंगे उपचार शामिल होते हैं, जिससे गरीब परिवारों को जमीन-जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है। इस तरह तंबाकू न केवल आय को घटाता है, बल्कि भविष्य की बचत और संपत्ति को भी खत्म कर देता है।

सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। COTPA 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध,चेतावनी चित्र और विज्ञापनों पर रोक जैसी नीतियां लागू की गई हैं। इसके अलावा,तंबाकू उत्पादों पर उच्च कर (टैक्स) लगाकर खपत को कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स बढ़ाने के साथ-साथ जागरूकता अभियान और नशामुक्ति सेवाओं को भी मजबूत करना जरूरी है।

हाल के वर्षों में तंबाकू छोड़ो अभियानों और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स ने भी लोगों को इस आदत से बाहर आने में मदद की है। मोबाइल ऐप्स, हेल्पलाइन और काउंसलिंग सेवाओं के जरिए लाखों लोग धीरे-धीरे तंबाकू छोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम भी इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

तंबाकू का मुद्दा केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का भी है। यदि भारत तंबाकू खपत को प्रभावी ढंग से कम करने में सफल होता है, तो इससे न केवल बीमारियों का बोझ घटेगा,बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तंबाकू छोड़ना एक व्यक्तिगत निर्णय जरूर है,लेकिन इसका प्रभाव पूरे समाज और देश की प्रगति पर पड़ता है।

अधूरा आसमान

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़

शहर की सबसे व्यस्त चौराहे के सिग्नल पर बारह साल के राजू के हाथ में कोई खिलौना नहीं,बल्कि एक गंदा कपड़ा और पानी की बोतल थी। जैसे ही लाल बत्ती जलती,वह भागकर गाड़ियों के शीशे साफ़ करने लगता। उसकी आँखों में वह चमक नहीं थी जो इस उम्र के बच्चों की पहचान होती है,बल्कि वहाँ एक ऐसी ख़ामोश संजीदगी थी जैसे वह अपनी उम्र से कई साल आगे निकल गया हो। एक दोपहर,एक महंगी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे एक बच्चे ने रंगीन कहानियों की किताब खोल रखी थी। राजू ने शीशा साफ़ करते हुए एक पल के लिए उन तस्वीरों को देखा। उसे याद आया,बहुत समय पहले उसने भी एक ऐसी ही किताब का सपना देखा था। लेकिन फ़िर पिता की लंबी बीमारी और घर के चूल्हे की ठंडक ने उसे उन रंगीन गलियों से निकालकर धुएं और शोर भरी सड़कों पर ला खड़ा किया। उसके नन्हे हाथ,जो कभी क़लम पकड़ने के लिए बने थे,अब सड़क की धूल और मेहनत से सख़्त हो चुके थे। उसके लिए स्कूल की घंटी की आवाज़ एक धुंधली याद बन चुकी थी। मंज़र भोपाली का वह शेर उस पर बिल्कुल सटीक बैठता था,उसने बचपन में खिलौने तो नहीं देखे,लेकिन वह सीधे उस बुढ़ापे से जा मिला था जहाँ सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ और फिक्र होती है। शाम ढलते ही जब वह कुछ सिक्के जेब में डालकर घर लौट रहा था, तो उसे फुटपाथ पर एक टूटा हुआ प्लास्टिक का हवाई जहाज पड़ा मिला। उसने उसे उठाया,धूल झाड़ी और फिर एक लंबी आह भरकर वहीं छोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अब बच्चा नहीं रहा। वक्त का पहिया इतनी बेरहमी से घूमा था कि उसका बचपन कहीं पीछे,उन अंधेरी गलियों में गुम हो गया था जहाँ अब सिर्फ़ थकान का राज था। बचपन की खुशहाली हर किसी की किस्मत में नहीं होती। समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपनी जवानी को बुढ़ापे की थकान में गुज़ार रहा है। अगर हम इन नन्हे हाथों से बोझ छीनकर उन्हें सपने देखने का मौका दें,तभी शायद दुनिया की हर मुस्कुराहट के पीछे का अधूरापन खत्म हो पाएगा।

डिजिटल यादें और भूलने का अधिकार

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

भूल जाने का अधिकार' (राइट टू बी फॉरगॉटन–आरटीबीएफ) आज के डिजिटल युग की सबसे जटिल और बहुआयामी कानूनी-नैतिक बहसों में से एक बन चुका है। इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सूचना को स्थायी, सर्वसुलभ और वैश्विक बना दिया है, जिसके कारण एक बार प्रकाशित हुई जानकारी लंबे समय तक ऑनलाइन बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन को निरंतर प्रभावित करती है। ऐसे परिदृश्य में आरटीबीएफ व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी पुरानी, अप्रासंगिक, भ्रामक या हानिकारक जानकारी को हटाने या कम-से-कम उसकी दृश्यता को सीमित करने की मांग कर सके। यह अधिकार विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ किसी व्यक्ति के अतीत की जानकारी उसके वर्तमान जीवन, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हो। पहली दृष्टि में यह अधिकार मानवीय गरिमा, निजता और आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, लेकिन जब यह प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के 'जानने के अधिकार' से टकराता है,तब यह एक गंभीर संवैधानिक और नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करता है, जिसका समाधान सरल नहीं है।

आरटीबीएफ की अवधारणा का वैश्विक उद्भव 2014 में यूरोपीय संघ के प्रसिद्ध ,गूगल स्पेन मामले से हुआ,जहाँ न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सर्च इंजन कुछ परिस्थितियों में ऐसी जानकारी को अपने सर्च परिणामों से हटा सकते हैं, जो अब अप्रासंगिक हो चुकी हो या व्यक्ति की निजता का अनावश्यक उल्लंघन करती हो। इस निर्णय ने डिजिटल अधिकारों के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोला और इसके परिणामस्वरूप जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) के अनुच्छेद 17 में 'मिटाने का अधिकार' (राइट टू इरेज़र) को कानूनी मान्यता दी गई। हालांकि,यूरोपीय मॉडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनहित,ऐतिहासिक अभिलेखों और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण अपवादों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, आरटीबीएफ को एक सशर्त अधिकार के रूप में विकसित किया गया,जो व्यक्ति की निजता और समाज के व्यापक हित के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

भारत में आरटीबीएफ का कोई स्पष्ट और समर्पित वैधानिक ढाँचा अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'गोपनीयता के अधिकार' में देखा जा सकता है,जिसे 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम,2023 (डीपीडीपी एक्ट) सीमित रूप से डेटा मिटाने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह मीडिया रिपोर्टों,सार्वजनिक अभिलेखों और पत्रकारिता से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशानिर्देश देने में अभी अपर्याप्त साबित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 भी शिकायत निवारण का एक ढाँचा प्रदान करते हैं,परंतु वे इस जटिल संतुलन को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप, भारत में आरटीबीएफ के अनुप्रयोग को लेकर न्यायिक निर्णयों में असंगति और अस्पष्टता देखी जा रही है, जो एक सुसंगत नीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

आरटीबीएफ और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच टकराव को समझने के लिए 'सूचनात्मक आत्म-निर्धारण' की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल पहचान और ऑनलाइन उपस्थिति पर नियंत्रण का अधिकार देता है। आज के समय में, जब किसी व्यक्ति की ऑनलाइन छवि उसके पेशेवर अवसरों, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, तब यह अधिकार और भी प्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी समय आपराधिक आरोप लगे हों, लेकिन बाद में वह अदालत द्वारा बरी कर दिया गया हो, तब भी इंटरनेट पर उपलब्ध पुरानी समाचार रिपोर्टें उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे मामलों में आरटीबीएफ व्यक्ति को एक 'दूसरा मौका' प्रदान करने का माध्यम बन सकता है, जिससे वह अपने अतीत की छाया से मुक्त होकर वर्तमान में आगे बढ़ सके।

दूसरी ओर,प्रेस की स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में निहित है, लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। यह केवल अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं,बल्कि जनता के'जानने के अधिकार' का भी प्रतीक है। मीडिया की भूमिका केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सत्ता की निगरानी करना,भ्रष्टाचार को उजागर करना और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। यदि आरटीबीएफ का उपयोग व्यापक रूप से समाचार रिपोर्टों,खोजी पत्रकारिता या सार्वजनिक हित से जुड़ी जानकारी को हटाने के लिए किया जाने लगे,तो यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। विशेष रूप से तब,जब प्रभावशाली व्यक्ति या सार्वजनिक पदाधिकारी अपने अतीत से जुड़ी असुविधाजनक जानकारी को हटाने के लिए इस अधिकार का उपयोग करें, तब यह समाज के लिए खतरनाक प्रवृत्ति बन सकती है।

हाल के वर्षों में कुछ न्यायिक मामलों में आरटीबीएफ के नाम पर गैग ऑर्डर जारी किए गए हैं,जो मीडिया को किसी विशेष जानकारी के प्रकाशन या प्रसार से रोकते हैं। ये आदेश कई बार 'प्रायर रेस्ट्रेंट' का रूप ले लेते हैं,जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्व-प्रतिबंध होता है और संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत संदेहास्पद माना जाता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब ऐसे आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किए जाते हैं,बिना मीडिया या अन्य संबंधित पक्षों को सुने। इससे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगते हैं। यद्यपि कुछ मामलों में अदालतों ने बरी हुए व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय देते हुए पुरानी जानकारी को हटाने का आदेश दिया है,वहीं अन्य मामलों में प्रेस की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए ऐसे आदेशों को निरस्त भी किया गया है। इन विरोधाभासी निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में इस विषय पर एक सुसंगत और स्पष्ट कानूनी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता है।

राष्ट्रवाद का नया सैनिटाइजर

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

विशाल बाबू की राशन की दुकान पर मिलावट का धंधा जोरों पर था। जब मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया,तो विशाल बाबू ने दुकान का नाम बदलकर अखंड भारत किराना स्टोर रख दिया और बाहर दो बड़े लाउडस्पीकर लगवा दिए,जिन पर दिन-रात देशभक्ति के गीत बजते थे। जैसे ही कोई ग्राहक दाल में कंकड़ की शिकायत करता,विशाल बाबू जोर से चिल्लाते,क्या? इस पावन धरती की मिट्टी को आप कंकड़ कह रहे हैं? क्या आपको इस मिट्टी की खुशबू नहीं आती? आप पक्का उस पड़ोसी देश के एजेंट हैं! ग्राहक बेचारा द श द्रोही कहलाने के डर से चुपचाप कंकड़ वाली दाल लेकर घर चला जाता। विशाल बाबू ने अब राष्ट्रवाद का सैनिटाइजर ईजाद किया था। वे हर गलत काम के बाद तिरंगा गमछा ओढ़ लेते और सोशल मीडिया पर किसी को प्रमाण पत्र बांटने लगते। उन्होंने अपनी काली कमाई को राष्ट्रीय चंदा घोषित कर दिया। एक दिन सरकारी इंस्पेक्टर जांच के लिए आया,तो विशाल बाबू ने उसे राष्ट्रविरोधी होने का डर दिखाया और पूछा, क्या आप इस ऐतिहासिक दुकान की पवित्रता पर शक कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने डर के मारे बिना जांच किए ही क्लीन चिट दे दी। मोहल्ले का एक रिटायर्ड फौजी जब सच बोलने आगे आया,तो उसे बूढ़ा और भ्रमित घोषित कर दिया गया। विशाल बाबू अब शहर के सबसे बड़े नैतिक संरक्षक बन चुके थे। उनकी दुकान की गंदगी अब सांस्कृतिक धरोहर मानी जाने लगी थी। अंत में, विशाल बाबू ने अपनी मिलावटी हल्दी को क्रांतिकारी चूर्ण बताकर दोगुने दाम पर बेचना शुरू कर दिया और पूरा शहर गर्व से उसे खाकर बीमार होने लगा।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

मानवाधिकार का नाम लेकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब...6 आरोपी गिरफ्तार

घर में घुसकर तलाशी,डराकर वसूले रुपए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र में मानवाधिकार संगठन का सदस्य बताकर घरों में घुसकर तलाशी लेने और लोगों को डराकर रुपए वसूलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार और 5 हजार रुपए नकद जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार, 21 अप्रैल की दोपहर करीब 12.30 बजे 6 लोग लग्जरी कार से ग्राम नकना निवासी सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचे। पूछताछ करने पर उन्होंने खुद को मानवाधिकार संगठन का सदस्य बताया और जबरन घर में घुसकर तलाशी लेने लगे। इस दौरान शराब बनाने का आरोप लगाकर सुरेंद्र पर मानसिक दबाव बनाया और 20 हजार रुपए की मांग की। केस में फंसाने की धमकी से घबराकर सुरेंद्र ने 4 हजार रुपए दे दिए।

दूसरे घर में भी की वसूली

इसके बाद गिरोह के सदस्य दूसरे पारा में बिंदु महंत के घर पहुंचे और बिना अनुमति घर की तलाशी लेने लगे। घर में रखी दवाइयों को देखकर क्लीनिक चलाने का आरोप लगाया और 1 लाख रुपए की मांग की। डराकर बिंदु महंत से 1 हजार रुपए लेकर आरोपी वहां से फरार हो गए।

जांच में खुला ठगी का नेटवर्क

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में श्यामलाल सारथी (54), रामाकांत मिंज (34), अनुज भगत (37), आकाश केरकेट्टा (27), आबिद खेस (27) और एक महिला शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे 20 अप्रैल को बतौली क्षेत्र में और लुंड्रा थाना क्षेत्र में भी इसी तरह लोगों को डराकर ठगी कर चुके हैं।

मुख्य आरोपी की तलाश जारी

गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। इसमें उप निरीक्षक रघुनाथ राम भगत, सहायक उप निरीक्षक शशि प्रभा दास, प्रधान आरक्षक नीरज पाण्डेय सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

बैंक खाता खुलवाकर ठगी,एटीएम-चेकबुक लेकर करता रहा लेन-देन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

बैंक खाता खुलवाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खाताधारकों का खाता खुलवाकर उनकी चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया और खाते से अवैध लेन-देन करता रहा। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरजा निवासी राजकुमार मिंरे ने पुलिस को बताया कि वह दर्रीपारा में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है। उसके पड़ोसी के माध्यम से शादाब अंसारी से पहचान हुई थी। शादाब ने बताया कि एचडीएफसी बैंक में फ्री में खाता खुल रहा है और खाता खुलवाने पर 1000 रुपए भी मिलेंगे। लालच में आकर राजकुमार सहित अन्य लोगों ने खाता खुलवाने की सहमति दी। अगले दिन आरोपी एक व्यक्ति को बैंक कर्मचारी बताकर साथ लाया और सभी के दस्तावेज लेकर खाता खुलवाया। खाता खुलने के बाद पासबुक, एटीएम और चेकबुक दे दी गई। अगले दिन आरोपी ने पासबुक, एटीएम और चेकबुक यह कहकर ले लिए कि बैंक में अपडेट कराकर लौटा देगा, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं आया। लगातार संपर्क करने पर बहाने बनाता रहा और बाद में मोबाइल बंद कर दिया। कुछ समय बाद बैंक से सूचना मिली कि खाते में संदिग्ध लेन-देन हो रहा है। जब खाताधारक बैंक पहुंचे तो पाया कि खाते में दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज कर अवैध लेन-देन किया जा रहा था। मामले में मणिपुर थाना पुलिस ने आरोपी शादाब अंसारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

खड़े ट्रक से 380 लीटर डीजल चोरी,रिपोर्ट दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ पेट्रोल पम्प के पास खड़े ट्रक से डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरों ने टंकी का ढक्कन तोड़कर करीब 380 लीटर डीजल चोरी कर ले गए हैं। चालक ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रतापगढ़ सडक़पारा निवासी राहुल कश्यप नमनाकला अंबिकापुर निवासी नरेश दुबे का ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 15 डीएन 5009 को चलाता है। 20 अप्रैल को वह अमेरा खदान से कोयला लोड करके उड़ीसा सम्बलपुर जा रहा था, और रात करीब 8.30 बजे अम्बे पेट्रोल पम्प प्रतापगढ़ में ट्रक वाहन को खड़ा करके अपने घर प्रतापगढ़ सडक़पारा में खाना खाने चले गया और वहीं सो गया। 21 अप्रैल को सुबह लगभग 5 बजे अम्बे पेट्रोल पम्प के पास खड़ी ट्रक के पास आया तो काफी डीजल जमीन पर गिरा था, और ट्रक के डीजल टंकी का ढक्कन टूटा हुआ था। टंकी में लगभग 380 लीटर डीजल नहीं था, जिसकी कीमत 36 हजार रुपये बताई गई है। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 303(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया है।

सूने मकान का ताला तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना अंतर्गत ग्राम जयपुर में सूने मकान का ताला तोडक़र 20 हजार रुपये नकद व जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम जयपुर निवासी देव कुमार जिला सहकारी बैंक बड़ा बाजार चिरमिरी में कम्प्यूटर ऑपरेटर है। वह परिवार के साथ वहीं रहता है। 18 अप्रैल को वे अपने भांजा के शादी में परिवार के साथ ग्राम मेंड्राकला आए था, और उनका छोटा भाई राजकुमार भी शाम करीब 6 बजे घर में ताला लगाकर अपने परिवार के साथ भांजा के शादी में शामिल होने ग्राम मेण्ड्राकला आ गया था। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 20 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे उनका छोटा भाई अपने परिवार के साथ गृहग्राम जयपुर चले गया। 21 अप्रैल को सुबह करीब 6 बजे फोन करके वह अपने बड़े भाई को बताया कि 20 अप्रैल की शाम को जब वह घर आया तो पीछे के दरवाजे का और घर में रखे पेटी का ताला टूटा हुआ था। इसकी जानकारी मिलने पर देव कुमार अपने परिवार के साथ गृहग्राम जयपुर आया तो देखा कि पेटी में रखा चॉदी का ब्रेसलेट, सोने का कान का बाली, नथिया, चांदी का सिक्का एवं नकद रकम 20 हजार रुपये नहीं था। पुलिस मामले में अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

ऑटो की टक्कर से घायल महिला की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

ऑटो की ठोकर से घायल बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पुटा, खर्राडांड का देवनारायण पण्डो पिता वातन राम पण्डो 32 वर्ष, 20 अप्रैल की शाम को ग्राम खर्राडांड से अंबिकापुर की ओर आ रहा था। लोटना नदी घाट पर ग्राम नानदमाली निवासी ऑटो चालक उमेश लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए उसे ठोकर मार दिया, जिसमें वह बेहोश हो गया था। घायल की बहन ने इसकी सूचना देवनारायण के परिजन को दी थी। घायल अवस्था में वे उसे दरिमा स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, इलाज के दौरान 21 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

आम तोडऩे की बात पर युवक पर टांगी व हंसुआ से हमला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहर से लगे ग्राम सुन्दरपुर लोधिमा,पटेलपारा में आम पेड़ को हिलाने से मना करने पर विवाद की स्थिति बन गई। आरोपियों ने युवक पर टांगी और हंसुआ से हमला करते हुए बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। सुनीता यादव ने पुलिस को बताया है कि, 20 अप्रैल की शाम को करीब 7 बजे आम तोडऩे के लिए गांव के ही लडक़े ने बांस मांगा,इसके बाद बांस को जमीन में फेंक कर आम के पेड़ में चढ़ गया और पेड़ को हिलाने लगा। इस दौरान आंगन में सो रहे उसके मझले पुत्र रामभरोस की नींद खुल गई और वह पेड़ हिलाने से मना किया, इसके बाद पेड़ से नीचे उतरकर उक्त लडक़ा विवाद करने लगा। विवाद सुनकर घर के अंदर खाना खाकर सो रहा रामभरोस का छोटा भाई प्रकाश यादव बाहर निकला और गाली-गलौज करने से मना किया,इससे नाराज होकर छोटू ने प्रकाश यादव को जान से मारने की धमकी देते हुए सिर के पीछे टांगी से और जयप्रकाश हंसुआ से गाल एवं गर्दन में हमला कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। मारपीट करने के बाद आरोपी मोटर सायकल को भी टांगी से क्षतिग्रस्त कर दिए। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115(2),296,3(5), 324(4),351(3) का मामला कायम कर लिया है।

भातूपारा तालाब में होटल संचालक ने किया जल निकासी मार्ग बंद

नोटिस के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण,निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम क्षेत्र में तालाब और जल निकासी की जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। न्यू बस स्टैंड के पास रिंग रोड तालाब का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब भातूपारा तालाब में जल निकासी मार्ग पर कब्जे का नया मामला सामने आ गया है।

आरोप है कि शहर के एक होटल संचालक ने जल निकासी की जमीन को पाटकर वहां कॉटेज निर्माण की तैयारी कर ली है। भातूपारा तालाब में शहर के कई इलाकों का पानी आकर जमा होता है, जिसके लिए पहले से जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी। अब इस मार्ग के बंद होने से शहर की ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने संबंधित होटल संचालक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही निगम की टीम मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम और होटल संचालक पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि निगम की ढिलाई के कारण ही शहर में अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं।

पार्षद हिमांशु जायसवाल ने कहा कि जल निकासी मार्ग पर कब्जा गंभीर मामला है, इससे आम जनता को परेशानी होगी।

वहीं नगर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप ने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि नगर निगम कब तक जल निकासी की जमीन को कब्जामुक्त करा पाएगा या फिर इस मामले में लगाए जा रहे आरोपों में सच्चाई है। फिलहाल शहरवासी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

महिला डेंटिस्टों की संभागीय बैठक,डॉ. नीतू सिंह बनीं चेयरमैन डॉ. पल्लवी शुक्ला सचिव और डॉ. प्रियंका जैन बने कोषाध्यक्ष

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

ऑल इंडिया डेंटल काउंसिल (आईडीए) की संभागीय महिला विंग (डब्ल्यूडीसी) की बैठक स्थानीय सरगवां पैलेस रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक में संभागभर से आई महिला डेंटिस्ट डॉक्टरों ने भाग लिया और अपनी-अपनी समस्याओं को साझा किया।

बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं डॉक्टरों ने पेशे से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की और उनके समाधान के लिए एकजुट होकर मजबूत पहल करने पर जोर दिया। वरिष्ठ डेंटल सर्जन डॉ. भावना परिदा,डॉ. लवली नैनन,डॉ. नीलम कुमार और डॉ. तूलिका सिंह के मार्गदर्शन में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वर्ष 2026-27 के लिए डॉ. नीतू सिंह को चेयरमैन पद पर चुना गया। वहीं डॉ. पल्लवी शुक्ला को सचिव और डॉ. प्रियंका जैन श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सभी सदस्यों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और बेहतर कार्य की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में डॉ. नीलम कुमार,डॉ. डॉ. दीपिका शशि, डॉ. प्रतिभा अम्बस्ट,डॉ. सहाना फिरदौसी,डॉ. शंखु गोयल, डॉ. रश्मि तिवारी,डॉ. प्रज्ञा गोयल,डॉ. प्रेरणा गोयल,डॉ. सृष्टि मेहता,डॉ. दीपिका श्रीवास्तव, डॉ. शिल्पा सिन्हा,डॉ. श्रद्धा गुप्ता,डॉ. प्रज्ञा अग्रवाल और डॉ. सीमा लस्की सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहीं।

रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार,एसीबी की कार्रवाई

नामांतरण व नौकरी के लिए मांगे थे 25 हजार रुपए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक पटवारी को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी भूमि नामांतरण और नौकरी के लिए आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के ग्राम मरहटा निवासी रूप सिंह और उनकी बहन के नाम ग्राम सेन्धोपारा, तहसील प्रतापपुर में जमीन है। यह जमीन महामाया कोल खदान, जरही द्वारा अधिग्रहित की गई है। जमीन के नामांतरण और नौकरी के लिए पटवारी प्रतिवेदन जरूरी था। रूप सिंह ने इसके लिए संबंधित पटवारी सौरभ गोस्वामी से संपर्क किया, लेकिन पटवारी ने कार्य करने के बदले 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। पैसे नहीं देने पर वह काम में टालमटोल कर रहा था। रूप सिंह रिश्वत नहीं देना चाहता था,इसलिए उसने एसीबी अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने के बाद 22 अप्रैल को एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। इस दौरान पटवारी सौरभ गोस्वामी को शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

उचित मूल्य दुकानों का सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश

-संवाददाता-
बलरामपुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह हितग्राहियों को नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार सभी उचित मूल्य दुकानों को प्रत्येक कार्य दिवस में दो पालियों में कुल 8 घंटे दुकान खोलकर राशन वितरण करने के निर्देश है। जिसके अंतर्गत सुबह 8:00 से 12:00 बजे तथा दोपहर 2:00 बजे से 6:00 बजे तक दुकानों का संचालन किया जाना है। हितग्राहियों को खाद्यान्न का उठाव करने में किसी प्रकार की समस्या न हो इस संबंध में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने उचित मूल्य दुकानों का सुचारू रूप से संचालन करने के निर्देश दिए है। जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले में 483 उचित मूल्य की दुकान संचालित है जिसके माध्यम से 2 लाख 34 हजार राशन कार्ड धारियों को प्रति माह लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संचालित है जिसके अंतर्गत राशन कार्ड धारी अपनी सुविधा एवं इच्छानुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन का उठाव कर सकता है। खाद्य अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी मोबाईल नंबर 9202608795 पर साझा कर सकते हैं, ताकि समय पर समाधान किया जा सकें।

चेकडैम बना ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता का आधार... जल संरक्षण से खेती के लिए साल भर मिल रही सिंचाई सुविधा

-संवाददाता-
बलरामपुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले के राजपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत उफिया में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सुई थोपा नाला पर बना चेकडैम ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। चेकडैम जल संरक्षण का माध्यम बनने के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चेक डैम के निर्माण से वर्षा जल का संरक्षण संभव हुआ है, जिससे क्षेत्र में भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है। पहले जहां पानी की कमी के कारण किसान सीमित खेती कर पाते थे, वहीं अब सालभर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इस निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिला, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। चेकडैम से लगभग 16 एकड़ कृषि भूमि सिंचित हो रही है, जिससे 7 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं और गेंहू, सरसों, मक्का, धान, सब्जियां जैसे बहुफसली खेती कर आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही आस-पास के लगभग 25 से 30 अन्य किसान भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर बहुफसली खेती अपना रहे हैं। चैक डेम बनने के पश्चात जल संरक्षण से किसानों के साथ-साथ मवेशियों को भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

26 अप्रैल को होगी मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा 2 लाख 47 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

-संवाददाता-
बलरामपुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को 16 जिलों में प्रातः 10 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित की गई है। जिसमें 2 लाख 47 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।

हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में हो शामिल : परीक्षा में शामिल होने परीक्षार्थियों हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल हों (काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनना वर्जित होगा)। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना अनिवार्य होगा। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, स्कार्फ,बेल्ट,टोपी प्रतिबंधित : परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभियर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा, इसके लिए ऐसे पोषाक वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में सामान्य समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पहुंचना होगा अनिवार्य

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इन दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व समुचित पहनावे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

दैनिक घटती-घटना खबर का असर खड़गवां पीडीएस दुकान की जांच पर उठे सवाल,शिकायतकर्ता बोले-'जांच में भी लीपापोती'

दैनिक घटती-घटना का असर : जांच हुई...लेकिन सच दबाने के आरोप...

- पीडीएस दुकान में गड़बड़ी,जांच बनी औपचारिकता-खड़गवां में हंगामा
- खबर के बाद जांच तो हुई,लेकिन पारदर्शिता पर सवाल बरकरार
- खबर का असर या दिखावा ? जांच के नाम पर लीपापोती के आरोप
- जांच में ही गड़बड़ी ? खड़गवां पीडीएस मामले में नया विवाद

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां 22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन में अनियमितता की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया, लेकिन जांच की कार्रवाई अब खुद विवादों में घिर गई है। 'दैनिक घटती-घटना' में खबर सामने आने के बाद फूड इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा गया,पर शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई और वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया।

खबर के बाद प्रशासन सक्रिय,लेकिन कार्रवाई पर सवाल

खड़गवां मुख्यालय स्थित पीडीएस दुकान में अनियमित संचालन की खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए फूड इंस्पेक्टर को मौके पर भेजा,यह कार्रवाई इस उम्मीद के साथ की गई थी कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई,उसने पूरे मामले को और ज्यादा संदेहास्पद बना दिया है।

शिकायत से शुरू हुआ पूरा मामला

मामले की शुरुआत तब हुई जब हितग्राही अशोक कुमार लोधी ने जिला खाद्य अधिकारी से लिखित शिकायत की,उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गवां की पीडीएस दुकान तय समय पर नहीं खुलती और राशन वितरण में मनमानी की जाती है, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि कई पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पाता,जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है,इस शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए।

महिला समूह की अनुपस्थिति ने बढ़ाया संदेह

इस मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीडीएस दुकान का संचालन एक महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाता है, लेकिन जांच के दौरान समूह की महिलाएं मौके पर मौजूद नहीं थीं,बताया गया कि उन्हें बाद में बुलाकर बयान लिया गया,इससे जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संचालन करने वाला समूह मौके पर मौजूद नहीं था,तो जांच की निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक है।

जांच के दौरान अधूरा निरीक्षण,स्टॉक जांच टाली

शिकायतकर्ता के अनुसार फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच तो की,लेकिन वह पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही। आरोप है कि दुकान के स्टॉक की सही तरीके से जांच नहीं की गई, चावल के बोरों पर स्टीग (टैग) नहीं लगे होने का हवाला देकर निरीक्षण को अधूरा छोड़ दिया गया। जबकि नियमों के अनुसार स्टॉक सत्यापन किसी भी जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि स्टॉक की गहन जांच होती,तो कई गड़बड़ियां सामने आ सकती थीं,लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

'संचालक को बचाने की कोशिश' का आरोप

अशोक कुमार लोधी का आरोप है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी,बल्कि दुकान संचालक को बचाने के उद्देश्य से की गई,उन्होंने कहा कि फूड इंस्पेक्टर ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय गोलमोल जवाब देकर मामले को शांत करने का प्रयास किया,शिकायतकर्ता के अनुसार यह पूरी कार्रवाई 'लीपापोती' का उदाहरण है,जिसमें वास्तविक तथ्यों को दबाने की कोशिश की गई।

पहले से ही अनियमितता के आरोप

खड़गवां की इस पीडीएस दुकान को लेकर यह पहला मामला नहीं है,स्थानीय हितग्राहियों का कहना है कि दुकान लंबे समय से अनियमित रूप से संचालित हो रही है,दुकान कभी समय पर नहीं खुलती, तो कभी राशन वितरण में देरी होती है,कई बार हितग्राहियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है,ऐसे में जब इस मामले को लेकर आवाज उठी और खबर प्रकाशित हुई,तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ठोस कार्रवाई होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति ने लोगों को निराश किया है।

गरीबों के हक पर असर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है,लेकिन यदि इस व्यवस्था में ही अनियमितता हो, तो इसका सीधा असर गरीबों के जीवन पर पड़ता है,खड़गवां के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है,जहां हितग्राही अपने हक के राशन के लिए भटकने को मजबूर हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर और सही मात्रा में राशन मिले,तो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यह संभव नहीं हो पा रहा।

प्रशासन की मंशा पर उठे बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं,क्या प्रशासन वास्तव में गरीबों के अधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर है? क्या जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या जिम्मेदार अधिकारी अनियमितताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल अब आमजन के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं।

उच्चस्तरीय जांच की मांग...

शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों ने इस मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है, उनका कहना है कि यदि सही तरीके से जांच कराई जाए,तो कई अनियमितताएं उजागर हो सकती हैं, साथ ही उन्होंने मांग की है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालक और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए,ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

घटती घटना | कोरिया समाचार | अम्बिकापुर गुरूवार 02 अप्रैल 2026 | 6

खड़गवां पीडीएस दुकान की मनमानी

तय समय पर नहीं खुलने से हितग्राही परेशान

शिकायत के बाद हरकत में प्रशासन, पीडीएस दुकान की जांच शुरू

खाद्य विभाग पर उठे सवाल, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

समय पर नहीं खुलती राशन दुकान, शिकायत पर जांच के आदेश

भटकते गरीब, खड़गवां पीडीएस दुकान पर अव्यवस्था उजागर

पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। यदि जांच प्रक्रिया ही संदिग्ध हो, तो लोगों का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ सकता है,इसलिए जरूरी है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो,ताकि आमजन को न्याय मिल सके।

'खबर का असर' या 'औपचारिकता '?- 'दैनिक घटती-घटना' में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई को 'खबर का असर' जरूर कहा जा सकता है,लेकिन जिस तरह से जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं,उससे यह भी स्पष्ट होता है कि केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका निष्पक्ष और प्रभावी होना भी जरूरी है, खड़गवां की यह घटना प्रशासन के लिए एक परीक्षा की तरह है, जिसमें यह तय होगा कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी या फिर मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा, अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या शिकायतकर्ताओं को न्याय मिल पाता है या नहीं।

गर्मी में न हो पानी की किल्लत...योजनाएं समय पर पूरी हों,दिशा बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत के सख्त निर्देश

-संवाददाता-
कोरिया,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। कोरिया और एमसीबी जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला पंचायत के मंथन कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत ने की। इस दौरान दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पेयजल और स्वास्थ्य को प्राथमिकता, आमजन को न हो परेशानी

बैठक में सांसद ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खराब हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए तथा जरूरत पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, गांव-गांव में जल आपूर्ति की नियमित निगरानी पर भी विशेष जोर दिया गया।

केंद्र योजनाओं में गुणवत्ता और समयसीमा पर सख्ती

सांसद ने जल जीवन मिशन,मनरेगा सहित अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं,उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर जाकर निरीक्षण करने और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मनरेगा में रोजगार सृजन पर जोर

बैठक में कोरिया जिले के मनरेगा के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिनमें 53,429 पंजीकृत परिवार, 90,441 श्रमिक पंजीकृत, 36,895 परिवारों को रोजगार तथा 57,357 श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया गया है, इनमें महिला श्रमिकों की भागीदारी 48 प्रतिशत रही। सांसद ने इन आंकड़ों की सराहना करते हुए रोजगार के अवसरों को और बढ़ाने के निर्देश दिए।

पारदर्शिता और निगरानी पर जोर- बैठक में कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी एवं एमसीबी कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, वहीं कोरिया एसपी श्री रवि कुमार कुर्रे और एमसीबी एसपी श्रीमती रत्ना सिंह ने कानून-व्यवस्था,सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी दी,सांसद ने सभी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और उनका लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कलेक्टरों ने आश्वासन दिया कि दिशा समिति के निर्देशों की नियमित समीक्षा की जाएगी और लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

363 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जारी-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत कोरिया जिले में 63 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इन सड़कों की कुल लंबाई 363 किलोमीटर है, जिनके लिए लगभग 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, सांसद ने इन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

स्कूल और आंगनबाड़ी सुविधाओं पर सख्त निर्देश-

बैठक में शिक्षा और पोषण व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, सांसद ने कहा कि प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में किसी प्रकार की कमी न हो।

सिंचाई और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान-

जल संसाधन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा गया कि नहर निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जाए, साथ ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए और डेम व तालाबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

जनप्रतिनिधियों ने रखीं क्षेत्रीय समस्याएं

बैठक के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए,प्रशासन ने इन पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

स्पष्ट संदेश: लापरवाही बर्दाश्त नहीं

दिशा बैठक में साफ संदेश दिया गया कि विकास कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी,आम जनता को बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।

वन ग्राम से राजस्व ग्राम : विकास की राह या विस्थापन का खतरा?

खैरबार मामले में उठे कानूनी और सामाजिक सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर/खैरबार,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। खैरबार को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया ने जहां विकास की नई उम्मीदें जगाई हैं,वहीं कई गंभीर कानूनी और सामाजिक प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। अधिवक्ता धनंजय मिश्रा ने कहा है कि यदि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और वास्तविक हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए नहीं की गई, तो यह विकास के बजाय शोषण का नया अध्याय बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब यह क्षेत्र वन ग्राम था,तब यहां निवासरत आदिवासियों को वन अधिकार पत्र विधिवत प्रदान किए गए थे। ऐसे में भूमि पर स्वामित्व एवं उपयोग का अधिकार परंपरागत वनवासियों के पक्ष में सुरक्षित था। इसके बावजूद अन्य वर्गों द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय और कब्जे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

कानून क्या कहता है? अधिवक्ता श्री मिश्रा के अनुसार, Forest Rights Act 2006 की धारा 4(5) स्पष्ट करती है कि अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी वनवासी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। साथ ही, इस कानून के तहत दिए गए अधिकार अहस्तांतरणीय हैं, अर्थात उनका क्रय-विक्रय वैध नहीं माना जाता। वहीं, Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 के तहत भी अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ऐसा कोई भी सौदा अवैध माना जाएगा।

जांच की मांग तेज : मिश्रा ने आशंका जताई कि कुछ लोगों ने राजस्व ग्राम बनने की संभावित प्रक्रिया की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वास्तविक हकदार आदिवासी और वनवासी फिर से ठगे जा सकते हैं।

प्रशासन से चार प्रमुख मांगें...

- भूमि अभिलेखों,रजिस्ट्री और कब्जों की गहन जांच हो।
- अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई हो।
- पात्र वन अधिकार पत्रधारियों को ही स्वामित्व अधिकार मिले।
- पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका सुनिश्चित की जाए।

समय रहते कार्रवाई जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्व ग्राम बनने की प्रक्रिया विकास का अवसर है, लेकिन यदि पारदर्शिता और कानून का पालन नहीं हुआ, तो यह सामाजिक अन्याय का कारण बन सकती है। प्रशासन को समय रहते सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भोले-भाले आदिवासी और वनवासी किसी नए छल का शिकार न हों।

एनएच-343 पर परिवहन व यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई

बिना परमिट चल रही स्कूल बस जब्त,10 हजार रुपये का चालान

-संवाददाता-
बलरामपुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिले में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बिना परमिट वाहनों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान दो प्रकरणों में कुल 10 हजार रुपये का सामंस शुल्क वसूला गया, जबकि एक स्कूल बस को जब्त किया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में चलाया गया।

वैवाहिक सीजन को देखते हुए जांच अभियान : पुलिस के अनुसार, वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग स्थित सेमरसोत (एनएच-343) पर यात्री बसों की सघन जांच की गई। इस दौरान बसों के परमिट, बीमा, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की जांच की गई।

स्कूल बस से ढोए जा रहे थे बाराती : जांच के दौरान सेंट जेवियर स्कूल की बस क्रमांक सीजे 15 ईजी 2821 को बिना परमिट बाराती एवं सवारी परिवहन करते पकड़ा गया। इसके बाद बस को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई।

मछुआरों की लापरवाही और बदहाल व्यवस्था से सूरजपुर में जल संकट गहराया,पानी के लिए हाहाकार

एनीकेट खुला,टंकियां सूखी–सूरजपुर में जल संकट चरम पर,मछली के चक्कर में शहर प्यासा, सूरजपुर में पेयजल संकट गहराया

गर्मी में डबल मार : लापरवाही और बदहाल व्यवस्था से सूखा सूरजपुर

पानी बहा,व्यवस्था बहकी–सूरजपुर में टैंकरों के भरोसे जिंदगी

एनीकेट से निकला पानी,सिस्टम की पोल खुली–शहर में हाहाकार

जर्जर मोटर,ठेकेदारी टैंकर और खुला एनीकेट–प्यासा सूरजपुर

करोड़ों के फंड पर सवाल, शहर में पानी का संकट बेकाबू

जिम्मेदार मौन, जनता परेशान–सूरजपुर में पेयजल संकट गहराया

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। भीषण गर्मी के बीच सूरजपुर शहर इस समय गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है,एक ओर जहां नयनपुर एनीकेट का गेट मछुआरों द्वारा खोल दिए जाने से नगर पालिका की जल आपूर्ति व्यवस्था अचानक चरमरा गई,वहीं दूसरी ओर पहले से ही जर्जर सिस्टम, अनियमित सप्लाई और प्रशासनिक उदासीनता ने हालात को और अधिक गंभीर बना दिया है, स्थिति यह है कि शहर के कई वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लोग बुनियादी जरूरत के लिए भी भटकने को मजबूर हैं।

एनीकेट का गेट खुला,टंकियां हुई खाली– जानकारी के अनुसार नयनपुर एनीकेट में नगर पालिका द्वारा जल आपूर्ति के लिए पानी संग्रहित किया गया था, लेकिन मछुआरों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से एनीकेट का गेट खोल दिया,जिससे भारी मात्रा में पानी बह गया। इसका सीधा असर नगर पालिका की टंकियों पर पड़ा और देखते ही देखते जल भंडारण खाली हो गया,इस घटना के बाद शहर के विभिन्न वार्डों में नलों ने जवाब दे दिया,जहां रोजाना पानी आता था,वहां अचानक सप्लाई बंद हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पहले से ही चरमराई व्यवस्था,संकट हुआ और गहरा–एनीकेट की इस घटना ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया,जो लंबे समय से दबे स्वर में सामने आ रही थी,शहर में पहले से ही पानी की आपूर्ति अनियमित थी,कई वार्डों में दो-दो दिन तक पानी नहीं पहुंच रहा था,जबकि कहीं बिना सूचना के सप्लाई बंद कर दी जाती थी,वार्डवासियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों से शिकायत की,लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया,अब एनीकेट की घटना ने इस समस्या को विकराल रूप दे दिया है।

टैंकरों के भरोसे शहर,लेकिन व्यवस्था नाकाफी– जल संकट के बाद नगर पालिका ने टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई शुरू की है, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, कई वार्डों में टैंकर समय पर नहीं पहुंच रहे, तो कहीं पानी की मात्रा जरूरत से कम है,लोगों को घंटों लाइन में लगकर पानी भरना पड़ रहा है, महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाई झेलनी पड़ रही है। कई परिवारों को मजबूरी में पानी खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं।

जर्जर मोटर और ठेकेदारी व्यवस्था पर उठे सवाल– नगर पालिका से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जल आपूर्ति की पूरी व्यवस्था पुराने और जर्जर मोटरों के सहारे चल रही है, ये मोटर बार-बार खराब हो जाती हैं,जिससे सप्लाई बाधित होती रहती है,इसके अलावा नगर में यह चर्चा भी है कि नगरपालिका के अधिकांश टैंकर ठेकेदारी में हैं,कई टैंकर संधारण के अभाव में खड़े-खड़े जर्जर हो रहे हैं, जबकि उनके रखरखाव के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब संसाधन मौजूद हैं, तो उनका सही उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा।

जिम्मेदारी को लेकर उठे तीखे सवाल–इस पूरे मामले ने जिम्मेदारों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या एनीकेट जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए थी? क्या मछुआरों द्वारा गेट खोलना प्रशासनिक विफलता नहीं है? नगर के विकास के लिए मिलने वाले करोड़ों रुपये आखिर खर्च कहां हो रहे हैं? क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस संकट पर जवाबदेही तय करेंगे? शहर में इन सवालों को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोग जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक की पहल को मिली सराहना–जहां एक ओर नगर पालिका की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं, वहीं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर की पहल की शहरभर में सराहना हो रही है, पेयजल संकट को देखते हुए उन्होंने अपने विभाग का टैंकर नगर पालिका को उपलब्ध कराया, जिससे कुछ हद तक लोगों को राहत मिली। नागरिकों ने इस कदम को मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण बताया है।

अधिकारियों ने दिया आश्वासन– मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभाकर शुक्ला ने बताया कि नयनपुर एनीकेट का पानी मछुआरों द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण यह स्थिति बनी है,उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य कर दी जाएगी,नगरपालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े ने भी कहा कि जल आपूर्ति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और अगले दिन से नियमित सप्लाई शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

बढ़ती गर्मी में संकट बना गंभीर चुनौती–गौरतलब है कि इस समय क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे पानी की मांग भी बढ़ गई है,ऐसे में जल प्रबंधन की जरा सी चूक भी बड़े संकट का रूप ले सकती है, सूरजपुर में हुई यह घटना इसी का उदाहरण है, जहां एक ओर लापरवाही और दूसरी ओर कमजोर व्यवस्था ने मिलकर पूरे शहर को संकट में डाल दिया।

सबक और समाधान की जरूरत– सूरजपुर का यह जल संकट केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है,यह बताता है कि बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, अब जरूरत है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारों की पहचान कर कार्रवाई की जाए और जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, साथ ही एनीकेट जैसे जल स्रोतों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

जिले में तीन जगहों पर बाल विवाह विफल

प्रशासन की तत्परता से बचा भविष्य

18 और 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह पूर्णतः गैरकानूनी,शामिल सभी लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई

-संवाददाता-

एमसीबी,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त और त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम कोडांगी (थाना खड़गवां),ग्राम पंचायत केलुआ एवं ग्राम पंचायत दुगला थाना केल्हारी में होने वाले बाल विवाह को समय रहते रोक दिया गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा तत्काल संयुक्त टीम का गठन किया गया। ब्लॉक परियोजना अधिकारी के नेतृत्व

में गठित इस टीम में सेक्टर सुपरवाइजर,जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, थाना केल्हारी एवं थाना खड़गवां का पुलिस बल, विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर के सदस्य,सरपंच और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों स्थानों पर पहुंचकर बाल विवाह की प्रक्रिया को रुकवाया और संबंधित परिवारों को समझाइश दी। अधिकारियों ने मौके पर ही बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006 के तहत जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रकार के विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति जैसे पंडित, पुरोहित, टेंट संचालक,रिश्तेदार या अन्य सहयोगी को 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही यह भी बताया गया कि विवाह की वैधानिक आयु बालक के लिए 21 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्रवाई के दौरान संबंधित प्रकरणों में पंचनामा एवं प्रतिवेदन भी तैयार किया गया। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

सत्र 2025-26 में जेईई (मेन्स) परीक्षा में प्रयास आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर के 09 विद्यार्थी चयनित

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि सत्र 2025-26 में जेईई (मेन्स) परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत जिले में संचालित मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर के कक्षा 12वीं से 41 विद्यार्थी शामिल हुए थे। शामिल विद्यार्थियों में से परीक्षा में 09 का चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आकाश कुमार तिर्की,अनुसूचित जाति वर्ग के आदित्य कुमार सारथी,अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रीति मिंज,अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुराग कुमार यादव,अनुसूचित जनजाति वर्ग के राहूल सिंह, कपूरचन्द सिंह, सावन लकड़ा,सुमित भगत एवं मोहन भगत चयनित हुए हैं। उन्होंने सभी चयनित छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए,उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/..../अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गंगा राम आ त्रिलोचन राम, उम्र 55 वर्ष, जाति उरांव निवासी ग्राम रजपुरी, था0तह0 सीतापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक की दादी के द्वारा स्वयं स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला मणिपुर स्थित नजूल भूमि खसरा न 4130 रकबा 0.12/0.049 हे0 भूमि का अपने जीवनकाल में दिनांक 02.06.2017 को वसीयतनामा आवेदक के पक्ष किया गया है। वसीयतकर्ता रतनी बाई की मृत्यु दिनांक 19.10.2017 को हो गई है। अतः उक्त वसीयतनामा दिनांक 02.06.2017 के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त वसीयतशुदा भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु वसीयतनामा दिनांक 02.06.2017 की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपति तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक / / 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दवा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/ 04/ 2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ऋषिकांत सिंह आ0 स्व0 गजेन्द्र नारायण सिंह जाति निवासी साक्षरता मार्ग, केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1981/4 रकबा $0.05^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 04/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक-17/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

सरगुजा वनमण्डल,अम्बिकापुर (छ.ग.)

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि सरगुजा वनमण्डल, के अधीनस्थ काष्ठागार अम्बिकापुर, में भण्डारित ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि एवं समय में ई-ऑक्शन किया जावेगा। इच्छुक व्यापारियों एवं अन्य क्रेताओं से अनुरोध है कि वे ई-ऑक्शन में भाग लेवें। ई-ऑक्शन से संबंधित शर्त एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय / काष्ठागार अम्बिकापुर से प्राप्त की जा सकती है।

काष्ठागार अंबिकापुर

नीलाम दिनांक- 24.04.2026 समय- प्रातः 09.00 बजे से

प्रजाति	नया वनोपज		पुराना वनोपज		योग वनोपज	
	लट्ठा	बल्ली	लट्ठा	बल्ली	लट्ठा	बल्ली
	(घ.मी.)	(नग)	(घ.मी.)	(नग)	(घ.मी.)	(नग)
सागौन	0.000	0	66.281	1989	66.281	1989
साल	415.514	0	3782.356	3068	4197.870	3068
साजा	2.954	0	29.145	95	32.099	95
खम्हार	0.000	0	6.486	4	6.486	4
धावड़ा	0.000	0	51.547	31	51.547	31
नीलगिरी	0.000	0	3.170	0	3.170	0
सलैया	5.903	0	47.836	6	53.739	6
हल्दू	0.000	0	15.096	0	15.096	0
अन्य	116.382	50	802.279	1590	918.661	1640
योगः-	**540.753**	**50**	**4804.196**	6783	5344.949	6833
जलाऊ	250	Chatta	1203	Chatta	1453	Chatta

टिप्पणीः-

1. क्रेताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व एम.एस.टी.सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वालेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉग इन करके देख सकते हैं।
4. ई-ऑक्शन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 20 सेकण्ड के पूर्व क्रय करने पर 20 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा।

वनमण्डलाधिकारी,
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर (छ.ग.)

जी नंबर-262700276/3

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल सिंह, शशिकांत सिंह, ऋषिकांत सिंह, अमित कुमार सिंह आ0 स्व0 गजेन्द्र नारायण सिंह जाति निवासी साक्षरता मार्ग, केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1262/3 रकबा $0.23^{1/2}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 04/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 16/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनीता सिंह आ0 ऋषिकांत सिंह जाति निवासी साक्षरता मार्ग, केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1981/7 रकबा $0.10^{1/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 04/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांकः-16/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ऋषिकांत सिंह आ0 स्व0 गजेन्द्र नारायण सिंह जाति निवासी साक्षरता मार्ग, केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1981/6 रकबा 0.11 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 04/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक-17/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

प्रकरण क्रमांक- 202604260200067/ब-121/25-26

ईश्तहार

सूरजपुर, दिनांक 14.04.2026

क्रमांक/189/ वाचक/ 2026

आवेदक श्री विनीत कुमार आ. बालसाय, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम तेलईकछार, तहसील लटोरी,जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं पूनम चर्मकार आ. कैलाश प्रसाद चर्मकार, निवासी वार्ड नम्बर 09, नया रेल्वे कालोनी, विजुरी, जिला-शहडोल (म.प्र.) के द्वारा द्वितीय अनुसूची की धारा 5-विशेष विवाह अधिनियम, आशियत विवाह की सूचना, शपथ पत्र, उम्र के सत्यापन हेतु अंकूसची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक- 20.05.2026 को दिन के 02:00 बजे उपस्थित होकर दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि अवसान पश्चात् प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया जावेगा।

आज दिनांक-14.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित ईश्तहार जारी किया गया।

सील

अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

लखनपुर दिनॉक

प्रति

समस्त ग्रामवासी
ग्राम-केवरा
तहसील-लखनपुर

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका मातेश्वरी पति स्व0 नंदाराम निवासी ग्राम केवरा तहसील लखनपुर के द्वारा अपने पति स्व0 नंदाराम की मृत्यु दिनाँक 03/02/2026 को हो जाने से (जन्म / मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ0ग0 जन्म मृत्यु रिज0 नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनाँक 28/04/26 को सूनवाई की जानी है।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो के पूर्व वह स्वय अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 28/04/26 इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनाँक के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सील

तहसीलदार,लखनपुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/..../अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जगरनाथ अग्रवाल आ.स्व. प्रभु अग्रवाल, उम्र-52 वर्ष, निवासी कौवाड़ांड, मायापुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के पिता एवं माता श्रीमती शांति देवी पति प्रभु अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की मोहल्ला कौवाडांड नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि भूखण्ड क्र. 1509/3, 1510/1 रकबा क्रमशः 544.5, 108.9 वर्गफीट भूमि स्थित है। आवेदक के पिता प्रभु अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 25.09.2022 को एवं माता श्रीमती शांति देवी की मृत्यु दिनांक 03.06.2024 को हो गई है, जिस कारण आवेदक द्वारा उक्त आवेदित भूमि से अपने पित्ता एवं माता का नाम विलोपित कर स्वयं सहित अन्य वारिसान का नाम दर्ज कराने हेतु मृत्तक भू-धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04/05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/04/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

करोड़ों 'स्वाहा', फिर भी हलक सूखा: कोरिया में कागजों पर दौड़ा 'नल', धरातल पर ढोढ़ी-झरिया का गंदा पानी बनी नियति

सुंदरपुर में जल जीवन मिशन का 'सूखा' सच: 1.59 करोड़ खर्च...फिर भी ग्रामीण ढोढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर

- जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल का सपना दिखा,महिलाओं के सिर पर थमा दी गगरी
- बैकुण्ठपुर के सलका से सोनहत के रेवला तक प्यास का पहरा: चार साल बीते,पर नहीं कम हुआ महिलाओं के सिर से पानी का बोझ

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। वनांचल ब्लॉक सोनहत की ग्राम पंचायत सुंदरपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत यहाँ 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर 1.59 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ग्रामीणों के गले की प्यास नहीं बुझ पा रही है। पीएचई विभाग के रिकॉर्ड में भले ही गांव नलों से लैस हो, लेकिन धरातल पर लोग गंदी और बदबूदार ढोढ़ी (प्राकृतिक स्रोत) का पानी पीने को विवश हैं।

सरकारी रिकॉर्ड बनाम जमीनी हकीकत

पीएचई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1618 की जनसंख्या वाले इस गांव के 318 घरों में से 296 घरों में नल कनेक्शन दे दिए गए हैं, रिकॉर्ड बताते हैं कि पंचायत में 28 हैंडपंप हैं, जिनमें से केवल 4 खराब हैं,साथ ही 4 सोलर पंप और 1 सिंगल फेस पावर पंप चालू हालत में दिखाए गए हैं। इसके विपरीत,ग्रामीणों का कहना है कि नलों में आज तक पानी की एक बूंद नहीं टपकी है,भीषण गर्मी में हैंडपंपों का जलस्तर नीचे चले जाने से अब ढोढ़ी ही एकमात्र सहारा बची है।

खतरे में जान : सुरक्षा घेरा न होने से बढ़ रहा डर

ग्रामीणों को पानी के लिए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है,जिस ढोढ़ी से पानी लिया जा रहा है,उसके चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है,जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है,छोटे-बच्चे इन असुरक्षित खुले कुओं और ढोढ़ियों के आसपास खेलते व नहाते नजर आते हैं,जो किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे रहे हैं।

कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सलका में गहराया पेयजल संकट,ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सलका में पिछले कई महीनों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है,जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, यहाँ के एक मोहल्ले में स्थित मुख्य नलकूप लंबे समय से खराब पड़ा है, लेकिन बार-बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सूचना देने के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई,विभाग की इस अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अंततः जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर जल संकट को दूर करने की गुहार लगाई है,ग्रामीणों का कहना है कि नलकूप बंद होने के कारण करीब 20 परिवारों को पानी के लिए मीलों दूर भटकना पड़ रहा है, जिसका सबसे बुरा असर महिलाओं और स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने और साफ-सफाई जैसे आवश्यक कार्यों के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोरिया जिले में 'जल जीवन मिशन' केवल कागजों और ठेकेदारों के मुनाफे तक सीमित रह गया है, ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे गुणवत्ताहीन कार्य और विभागीय उदासीनता के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही खराब नलकूप की मरम्मत नहीं हुई या पाइपलाइन के जरिए स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

पहाड़ों की तलछट से प्यास बुझाने को मजबूर वनांचल ग्राम सीतापुर के ग्रामीण- सोनहत विकासखण्ड की सीमा से लगे कोटाडोल तहसील के दूरस्थ वनांचल ग्राम सीतापुर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों पर भारी पड़ रहा है,जिला मुख्यालय से लगभग 140 किमी दूर स्थित इस आदिवासी बहुल गांव में पेयजल की समस्या इतनी विकराल है कि ग्रामीणों को रोजाना पथरीले और जंगली रास्तों से होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है,गांव में करीब 30 परिवार निवासरत हैं, जिनकी प्यास बुझाने के लिए सुविधाओं के नाम पर केवल एक सोलर पंप है,जो अक्सर खराब रहता है,सोलर पंप के बंद होने पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं कंधों पर बर्तन लेकर दुर्गम घाटियों से पानी लाने को मजबूर होते हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जमीनी हकीकत से वाकिफ होने के बाद भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल रहे हैं। शासन की पेयजल योजनाएं यहाँ दम तोड़ती नजर आ रही हैं और ग्रामीण आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सोनहत का रेवला: पहाड़ों की ओट में 'नल-जल' योजना का दम तोड़ता सच

सोनहत जनपद के सुदूर वनांचल और चारों ओर ऊँची पहाड़ियों के बीच,किसी गहरी खाई की तरह बसे ग्राम रेवला में सरकारी दावों की जमीनी हकीकत डरावनी है,यहाँ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना पिछले चार सालों से सिर्फ फाइलों में कैद है, यह इस सदी का सबसे बड़ा मजाक ही है कि जहाँ घर-घर नल पहुँचाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वहाँ रेवला के ग्रामीणों को आज तक एक अदद हैंडपंप तक नसीब नहीं हो सका है, पहाड़ों की दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के जीवन को और भी दूभर बना दिया है,पूरा गाँव आज भी प्यास बुझाने के लिए केवल एक प्राकृतिक झरिया (सोता) के भरोसे है,आलम यह है कि गाँव की महिलाएं चिलचिलाती धूप और पथरीले रास्तों की परवाह किए बिना,सिर पर पानी के बर्तन ढोकर कोसों दूर से घर तक पानी लाती हैं,चार साल का लंबा वक्त बीत गया,कई मौसम बदले,लेकिन रेवला की महिलाओं के सिर से पानी का यह बोझ कम नहीं हुआ,प्रशासन की अनदेखी ने इस वनांचल को विकास की मुख्यधारा से काटकर आदिम युग जैसी स्थिति में छोड़ दिया है, जहाँ स्वच्छ पेयजल आज भी एक लग्जरी बना हुआ है।

ग्रामीणों की जुबानी, अव्यवस्था की कहानी

'मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है,जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।'

मानमती सुंदरपुर

'गांव में घर-घर नल तो लगे हैं, लेकिन शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। हम सब आज भी ढोढ़ी के भरोसे हैं।'

सुशीला सुंदरपुर

सीतापुर में में पानी की गम्भीर समस्या है लोग काफी दूर से पानी लाते हैं

ब्रिज किशोर ग्राम कटवार

तुर्री पानी मे एक मुहल्ले में भारी समस्या है तुर्रा के पानी पर निर्भर हैं गर्मी में पानी को लेकर भारी तकलीफ है

लता सिंह

जलजीवन मिशन को लेकर जैसी उम्मीद जगाई गई थी वैसा हुआ नही, नल जल का सपना दिखा कर कही जल नही तो कही नल ही गायब हो गया

ज्योत्स्ना राजवाड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य

सोनहत के रेवला सुखतरा सेमरिया और अन्य वनाचलो में जल जीवन मिशन की स्थिति दयनीय है पानी को लेकर भारी जद्दोजहद का सामना जनता को करना पड़ रहा है

लल्ली सिंह पूर्व जनपद अध्यक्ष

कलेक्टर ने ली जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक

बार-बार नोटिस के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त करने के निर्देश

नलकूप खनन और एकल ग्राम योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की विकासखंडवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कार्यों में अनावश्यक विलंब और निर्देशों की अवहेलना करने वाले ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

नोटिस के बाद भी कार्य में लापरवाही

कलेक्टर श्री वसंत ने समीक्षा के दौरान पाया कि पूर्व में दिए गए नोटिस के बावजूद कई ठेकेदारों द्वारा नलकूप खनन और निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई है। नलकूप खनन कार्य में लगे तीन ठेकेदारों में मेसर्स पीटी नायडू को अनुबंधित दो कार्यों के लिए 7 अक्टूबर 2024, 31 दिसम्बर 2024, 28 फरवरी 2025, 23 अप्रैल 2025,22 जनवरी 2026 को कुल 10 नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार मेसर्स महावीर बोरवेल्स को अनुबंधित तीन कार्यों के लिए 7 अक्टूबर 2024,02 दिसम्बर 2024, 30 दिसम्बर 2024, 31 दिसम्बर 2024, 28 फरवरी 2025, 23 अप्रैल 2025,22 जनवरी 2026 को कुल 18 नोटिस जारी किया गया है। वहीं मेसर्स शिव शक्ति बोरवेल्स को अनुबंधित दो कार्यों के लिए 14 मई 2024,7 अक्टूबर 2024, 02 दिसम्बर 2024, 31 दिसम्बर 2024, 28 फरवरी 2025, 23 अप्रैल 2025, 22 जनवरी 2026 को कुल 09 नोटिस जारी किया गया है। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदारों द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया गया, जिसके चलते अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली कांग्रेस और विपक्षी दलों का फूंका पुतला

विपक्षी नेताओं की शव यात्रा निकाल जताया भारी आक्रोश...पुराना विश्राम गृह से अग्रसेन चौक तक गूंजे कांग्रेस विरोधी नारे

-संवाददाता-

सूरजपुर,22 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के आह्वान पर आज सूरजपुर जिले में विपक्षी नेताओं का पुतला दहन कर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया।

शव यात्रा और विरोध प्रदर्शन- सूरजपुर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता एवं भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नूतन विश्वास के नेतृत्व में विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं– राहुल गांधी,सोनिया गांधी, अखिलेश यादव,ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी की शव यात्रा निकाली गई। यह शव यात्रा पुराना विश्राम गृह से प्रारंभ होकर अग्रसेन चौक तक पहुँची, जहाँ आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं का पुतला दहन किया। इस दौरान 'कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है' और 'नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' जैसे नारों से पूरा शहर गूँज उठा।

विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा उजागर: देव गुप्ता- प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने कहा कि जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मातृशक्ति को केवल वोट बैंक समझते हैं, उन्होंने कहा,'विपक्ष ने सदन में इस अधिनियम का विरोध कर अपना असली चरित्र उजागर कर दिया है, वे नहीं चाहते कि देश की बेटियाँ नीति-निर्धारण और सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ।'

मातृशक्ति के अधिकारों पर प्रहार: नूतन विश्वास- महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूतन विश्वास ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने वाला था, जिसे रोकने का प्रयास कर विपक्ष ने देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है।

गरिमामयी उपस्थिति- इस विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम में चंद्रमणि पैकरा,किरण खेश,स्वाति सिंह देवंती साहू, रश्मि सोनी, रोशनी सोनी,सुमित्रा राजवाड़े, नीरू गुप्ता,पूजा गुप्ता,नंद कुमारी,सीता जायसवाल,सुमित्रा राजवाड़े, हेमलता जायसवाल, किस्मतिया देवांगन, सुखमन, बबली, शांति, तुलेश्वरी, सीता, वंदना, पूजा, दुर्गावती, सरोज, कविता, वर्मिला, संतोषी, नितिन गुप्ता, सुधा साहू, पार्वती साहू, दुर्गा,

अनीता, नीरू, तारा, सीमा, पुष्पा, मानती, सविता, बबीता, बॉबी राजवाड़े, इसके साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रितेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष संत सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जिला मंत्री रामेश्वरम तिवारी, नगर पालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, संजू सोनी, पंकज चौबे, छोटू मुकेश साहू, दीक्षित वर्मा, विकास अग्रवाल, धर्म सोनी, हर्ष गुप्ता, बंटी ठाकुर, हेमंत बैगा सहित भारी संख्या में भाजपा, महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं...मुमताज ने जीनत अमान पर दिया ऐसा स्टेटमेंट

संजीव कुमार को बताया खराब एक्टर

दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने हाल ही में संजीव कुमार को स्टार और जीनत अमान को अच्छी अभिनेत्री न मानने का बयान दिया है। उन्होंने स्टार और अभिनेता के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए अपनी राय रखी,जिससे वे चर्चा में हैं। दिग्गज अभिनेत्री मुमताज इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने बीते जमाने के कई एक्टर्स पर अपनी राय दी जिसके कारण वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने स्टार और अच्छे अभिनेता के बीच का अंतर स्पष्ट किया। इस बीच मुमताज ने कहा कि उन्होंने संजीव कुमार को कभी बड़ा स्टार नहीं माना और उनके जीनत अमान अच्छी अभिनेत्री नहीं थीं।

संजीव कुमार को एक्टर कहना गलत

विक्की लालवानी से बातचीत में मुमताज ने संजीव कुमार को स्टार न कहने वाली अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा, मैंने क्या गलत कहा? मैं यह नहीं कह रही कि वह एक बेहतरीन अभिनेता नहीं थे। स्टार होने और अभिनेता होने में जमीन-आसमान का फर्क होता है। दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, ये सभी स्टार थे। संजीव कुमार ने कैरेक्टर रोल और सपोर्टिंग रोल किए। वह बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही सभ्य थे,लेकिन स्टार और अभिनेता में फर्क होता है। आपने कहा कि वह बहुत बड़े स्टार थे, और मैंने जवाब दिया कि वह बहुत बड़े स्टार नहीं थे। वह एक अच्छे अभिनेता थे, लेकिन मैं दिलीप कुमार, देव आनंद और टॉप एक्टर्स को ही बड़े स्टार मानती हूं।

जीनत अमान अच्छी अभिनेत्री नहीं : मुमताज

मुमताज ने इस बात पर जोर दिया कि इंडस्ट्री में स्टार शब्द को बहुत ही हल्के में इस्तेमाल किया जाता है। जीनत अमान के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा,जीनत अमान, ठीक है। जीनत अमान एक बहुत अच्छी अभिनेत्री नहीं थीं, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, मैं उनसे भी माफी मांगती हूं। उन्हें कितने पुरस्कार मिले? अगर आप हर किसी को स्टार कहेंगे, तो यह कैसे काम करेगा? हर कोई स्टार नहीं होता। हर कोई स्टार नहीं बन सकता; हर कोई दिलीप कुमार नहीं बन सकता। स्टार बनने में सालों लग जाते हैं, तब तक तो बाल भी झड़ जाते हैं। मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, रेखा, ये अभिनेत्रियों में असली स्टार्स थीं।

11 साल की उम्र में किया था डेब्यू

मुमताज असकारी माधवानी,जिन्हें इंडस्ट्री में मुमताज के नाम से जाना जाता है ने 11 वर्ष की आयु में डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म लाजवंती (1958) से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें राम और श्याम (1967),मेरे हमदम मेरे दोस्त (1968) और ब्रह्मचारी (1968) जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाना जाता था। उनके करियर में सफलता दो रास्ते (1969) से मिली। उनकी आखिरी फिल्म 1990 में आई आंधियां थी।

मालविका मोहनन ने शेयर किया इमोशनल पल,चेन्नई में अकेलेपन के कारण रो पड़ीं

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक निजी और भावुक अनुभव साझा किया है। सोशल मीडिया पर आयोजित आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान उन्होंने उस पल के बारे में बताया,जब वह आखिरी बार रो पड़ी थीं। इंस्टाग्राम पर फैंस के सवालों का

जवाब देते हुए मालविका मोहनन से पूछा गया कि वह हाल में कब भावुक हुई थीं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने खुलकर अपनी भावनाएं साझा कीं और बताया कि यह घटना पिछले महीने की है, जब वह काम के सिलसिले में चेन्नई में थीं। एक्ट्रेस ने कहा कि वह लंबे समय तक चेन्नई में रहीं, जहां उन्हें लगातार काम करना पड़ा। हालांकि उनके साथ काम करने वाली टीम काफी सहयोगी और सकारात्मक थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि परिवार और अपनों से दूर रहना उनके लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल साबित हुआ। मालविका ने अपने जवाब में कहा, ÷मुझे लगता है कि यह तब हुआ जब मैं पिछले महीने काम के सिलसिले में चेन्नई में थी। मैं वहां लंबे समय तक थी। हालांकि मेरी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन घर, परिवार और अपनों से लंबे समय तक दूर रहने से बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है।

उनके इस बयान से यह साफ होता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे कलाकारों को व्यक्तिगत स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगातार शूटिंग,अलग-अलग शहरों में काम और व्यस्त शेड्यूल के कारण उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, जो कई बार मानसिक और भावनात्मक दबाव का कारण बनता है। मालविका मोहनन ने अपने करियर में अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए एक मजबूत पहचान बनाई है। वह साउथ सिनेमा के साथ-साथ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी सक्रिय हैं और अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उनके फैंस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो उनके काम के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व को भी पसंद करते हैं।

सोशल मीडिया पर इस तरह के खुलासे उनके फैंस को उनके करीब लाने का काम करते हैं। कई फैंस ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दिखाता है कि कलाकार भी आम लोगों की तरह भावनात्मक अनुभवों से गुजरते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए इस तरह के अनुभव सामान्य होते हैं। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना और लगातार काम का दबाव मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है। मालविका का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है और इसे लेकर फैंस अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग उनके इस ईमानदार जवाब की सराहना कर रहे हैं,जबकि कुछ ने इसे कलाकारों के निजी जीवन की झलक के रूप में देखा है। फिलहाल, मालविका मोहनन अपने आगामी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं और उनके फैंस उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं।

45 की उम्र में डेब्यू करेंगी रणबीर कपूर की बहन

कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा अपनी नई फिल्म दादी की शादी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। यह एक फैमिली ड्रामा है जिसमें नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी भी नजर आएंगी।

कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। कॉमेडियन इस बार एक फैमिली ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जो पहले से ही ऑनलाइन धूम मचा रही है।

कपिल की नई फिल्म का नाम दादी की शादी है जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ। कपिल शर्मा के अलावा फिल्म में नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, सरथ कुमार और सादिया खातिब जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म में हंसी, पागलपन और इमोशन्स का पूरा रोलरकोस्टर देखने को मिलेगा।

क्या है फिल्म की कहानी?

ये कहानी है टोनी (कपिल शर्मा) की जिसके लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है। टोनी को तीन साल हो गए लेकिन मैचमेकर एक भी अच्छी लड़की नहीं तलाश कर पाया। आखिरकार टोनी के लिए रिश्ता मिल जाता है और सादिया खातीब से उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है. सादिया की मां यानि नीतू कपूर दादी-नानी की उम्र में शादी करने का फैसला लेती है। इस फिल्म से नीतू कपूर और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं।

कहानी में तब और भी रोमांच आ जाता है जब टोनी के दादाजी (योगराज सिंह) इस विचार का कड़ा विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर दादी इस उम्र में शादी करेगी तो टोनी को अपनी शादी रद्द करनी होगी। इन सबके बीच, टोनी अपनी दादीजी के जीवन के रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाने का बीड़ा उठाता है, जिससे कहानी में एक मजेदार जासूसी मोड़ आ जाता है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

दादी की शादी' एक ऐसी फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है जो रिश्तों और दूसरे मौके का जश्न बेहद मनोरंजक अंदाज में मनाती है। फिल्म दर्शकों के बीच पहले से ही उत्साह पैदा कर चुकी है। 'दादी की शादी' 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आशीष आर. मोहन ने फिल्म का डायरेक्शन किया है।

नए ट्रेलर में प्रियंका चोपड़ा,रिचर्ड मैडेन की वापसी

सिटाडेल सीज़न 2 कन्फर्म हो गया है,जिसमें प्रियंका चोपड़ा की नादिया सिंह और रिचर्ड मैडेन के मेसन केन के साथ स्टेनली टुकी के बर्नार्ड ऑर्लिक भी एक्शन प्रोजेक्ट में वापसी कर रहे हैं। स्ट्रीमर ने कन्फर्म किया है कि नए सीज़न में सात एपिसोड होंगे,जो सभी 240 देशों और इलाकों में खास तौर पर बुधवार, 6 मई, 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किए जाएंगे। इसे कन्फर्म करते हुए एक नया ट्रेलर रिलीज़ किया गया।

सिटाडेल सीज़न 2 का ट्रेलर

नादिया, मेसन और बर्नार्ड की तिकड़ी एक नए खतरे के सामने आने और इस अफरा-तफरी के पीछे के सिस्टम को खत्म करने और इंसानियत को बचाने के खतरे के बाद एक साथ आने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा करते समय,उन्हें टीम में नए लोगों को शामिल करने का काम सौंपा जाता है और उन्हें सबसे अच्छे ऑप्शन चुनने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बार दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों के साथ, उनके लिए काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर में शिकार करना भी आसान नहीं है।

सिटाडेल सीज़न 2 कास्ट

3 लीड एक्टर्स के अलावा, लेस्ली मैनविल और एशले कमिंग्स के वापस आने की खबर है, जिसमें जैक रेनोर हच के रोल में, मैट बेरी फ्रैंक शार्प के रोल में, और लीना एल अरबी सेलीन के रोल में सीरीज़ में अपनी जगह बना रही हैं। मर्ले डैंड्रिज,गैब्रियल लियोन और रेना वैलैंडिंगम जैसे और भी एक्टर्स हैं। डेविड वील, जो रूसो और ग्रेग यिटेन्स के साथ शोरनर,डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं,जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ डायरेक्टर भी हैं। यह शो 3 साल के ब्रेक के बाद वापसी कर रहा है, इसका पहला पार्ट 28 अप्रैल, 2023 को आएगा। इसने कई नॉन-इंग्लिश स्पिन:ऑफ को भी इंस्पायर किया है, जिसमें सिटाडेल: डायना नाम का एक इटैलियन वर्शन और वरुण धवन और सामंथा रूथ प्रभु स्टारिंग सिटाडेल~ हनी बनी नाम का एक इंडियन वर्शन शामिल है। सिटाडेल सीज़न 2,6 मई, 2026 को प्राइम वीडियो पर आएगा।

खेल समाचार

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में पहली बार खेला मेडन

5 गेंद पर नहीं लगने दी हवा...छठी पर आउट करके भेजा वापस...वैभव सूर्यवंशी के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला ज्यादा खास नहीं रहा... उन्हें मोहसिन ने मेडन ओवर फेंककर आउट कर दिया...

लखनऊ,22 अप्रैल 2026। आईपीएल 2026 में अब तक अपनी बल्लेबाजी से कोहराम मचाने वाले राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने जैसा रहा। जो बल्लेबाज इस सीजन में गेंदबाजों के लिए काल बना हुआ था और 220 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कूट रहा था आज उसे लखनऊ सुपर जायंट्स के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने अपनी जाल में ऐसा फंसाया कि वे बेबस नजर आए। मोहसिन ने न केवल एक विकेट मेडन ओवर फेंका बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े हथियार को सस्ते में पवेलियन भेज दिया।

मोहसिन के आगे वैभव सूर्यवंशी की एक ना चली

मैच के चौथे ओवर में जब मोहसिन खान गेंदबाजी के लिए आए तो उनके सामने फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी थे। वैभव ने इस सीजन के 6 मैचों में 248 रन बनाकर तहलका मचा रखा था लेकिन मोहसिन ने पहली गेंद से ही उन पर दबाव बनाना शुरू किया। ओवर की पहली पांच गेंदों पर वैभव ने रक्षात्मक शॉट खेले और कट करने की कोशिश की लेकिन मोहसिन की सटीक लाइन-लेंथ ने उन्हें एक रन तक लेने का मौका नहीं दिया। पूरे सीजन में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले वैभव क्रीज पर रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे।

आखिरी गेंद पर कर दिया आउट

ओवर की आखिरी गेंद तक दबाव इतना बढ़ चुका था कि वैभव ने एक बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। मोहसिन ने ऑफ-स्टंप पर लेंथ डिलीवरी फेंकी जिस पर वैभव ने लेग-साइड की ओर ताकत से बल्ला घुमाया। लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। कवर पर मौजूद फील्डर दिग्वेश सिंह राठी ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और वैभव की पारी का अंत कर दिया।

11 गेंदों पर 8 रन बनाकर हो गए आउट

वैभव सूर्यवंशी जो पिछली पारियों में गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दे रहे थे, आज 11 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बल्ले से निकले दो चौके शुरुआती ओवरों में आए थे लेकिन मोहसिन खान के सामने वे पूरी तरह शांत रहे। इस विकेट-मेडन ओवर ने लखनऊ को मैच में जबरदस्त बढ़त दिला दी और राजस्थान के बल्लेबाजी क्रम को बैकफुट पर धकेल दिया।

पीसीबी के पूर्व सीईओ वसीम खान ने चार साल बाद आईसीसी जनरल मैनेजर के पद से इस्तीफा दिया

करांची,22 अप्रैल 2026। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व सीईओ वसीम खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपने महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे दिया है। वसीम खान नेआईसीसी में जनरल मैनेजर के पद से इस्तीफा दिया, जिसे उन्होंने पिछले चार वर्षों तक संभाला। वह 2022 में जेफ ऑलार्डाइस का स्थान लेकर इस पद पर नियुक्त हुए थे। इससे पहले, उन्होंने 2019 से 2022 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ के रूप में तीन साल तक कार्य किया। क्रिकेट सूत्रों के अनुसार, वसीम खान के आईसीसी के जनरल मैनेजर पद से इस्तीफा देने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह जून के अंत तक किसी अन्य पद को संभाल सकते हैं। पिछले दो वर्षों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। विभिन्न कारणों से शीर्ष स्तर के कई पदाधिकारी अपने पद छोड़ चुके हैं। जेफ ऑलार्डाइस के अलावा, इवेंट्स के प्रमुख क्रिस टेटली और एंटी-कॉरप्शन यूनिट के एलेक्स मार्शल भी अपने पदों से हट चुके हैं। इनकी जगह गौरव सक्सेना और एंड्रयू को नियुक्त किया गया। अब वसीम खान का इस्तीफा इस श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वसीम खान की पृष्ठभूमि भी खास है। वह इंग्लैंड में जन्मे हैं और वहीं से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1995 से 2001 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और 1998 से 2002 तक लिस्ट ए क्रिकेट में हिस्सा लिया। 1995 में वह वार्विकशायर काउंटी चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे। पाकिस्तान की जड़ों के बावजूद, उन्होंने कभी पाकिस्तान टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला।

सनराइजर्स हैदराबाद की बड़ी जीत

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर दिल्ली को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 243 रन का विशाल स्कोर बनाया। टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 135 रन की पारी खेली और टीम की जीत की नींव रखी। उनकी इस पारी में लगातार आक्रामक शॉट्स देखने को मिले, जिससे दिल्ली के गेंदबाज दबाव में आ गए। अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया, जिससे टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंच सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत ठीक-ठाक रही, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। दिल्ली की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 47 रन पीछे रह गई। दिल्ली की ओर से नीतीश राणा ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए और पारी को संभालने की कोशिश की। समीर रजवी ने 41 रन का योगदान दिया, जबकि केएल राहुल ने 37 रन बनाए। हालांकि,इन पारियों के बावजूद अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल सीरीज़ में नया रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली,22 अप्रैल 2026। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने तेजतर्रार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल करियर में 100 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्क्ना ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी और लक्ष्य से दूर रह गई।

इस मैच में हेनरिक क्लासेन ने आखिरी ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की और केवल 13 गेंदों पर 37 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे, जिसने टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मैच के दौरान लगाए गए तीन छक्कों के साथ ही क्लासेन ने आईपीएल करियर में 100 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया। अब तक वह 56 मैचों में कुल 102 छक्के लगा चुके हैं, जिससे वह लीग के सबसे खतरनाक मध्यक्रम बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं।

क्लासेन की इस पारी ने न सिर्फ टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता को भी एक बार फिर साबित किया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से नीतीश राणा ने 57 रन, समीर रजवी ने 41 रन और केएल राहुल ने 37 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ा योगदान देने में असफल रहे। गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इशान मलिंगा ने 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि हर्ष दुबे ने 3 विकेट झटके। मधुशंका और शाकिब हसन को 1-1 विकेट मिला।

सचिन तेंदुलकर का बस्तर आगमन बदलते बस्तर की सशक्त पहचान : सीएम साय

सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों से मिले...कहा...बस्तर में डायमंड बहुत, सही पॉलिश की जरूरत, 50 सीटर बस में 100 स्टूडेंट लाए गए

रायपुर,22 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर भारत रत्न और क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के आगमन पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र छिंदनार ग्राम में सचिन तेंदुलकर का आगमन बदलते हुए बस्तर की सशक्त पहचान है। यह उस नए बस्तर की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो अब भय और असुरक्षा की छाया से निकलकर विकास,अवसर और आत्मविश्वास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की पहल बस्तर के युवाओं को नई दिशा देंगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सचिन तेंदुलकर द्वारा बच्चों के बीच जाकर समय बिताना, उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करना और उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार करना इस अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सचिन तेंदुलकर का बस्तर आगमन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उनका आगमन यहां के बच्चों एवं युवाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन एवं माणदेशी फाउंडेशन द्वारा संचालित 'मैदान कप अभियान' खेल अधोसंरचना के विकास की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। विशेष रूप से जनजातीय अंचलों में बच्चों को खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का यह प्रयास बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि,बस्तर में 50 स्कूल मैदानों को विकसित किया जाएगा, जहां बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। 'मैदान कप' प्रतियोगिता के जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इस पहल को मांदेशी और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। करीब 5 हजार से ज्यादा बच्चों को इस अभियान से सीधा लाभ मिलेगा। कबड्डी,खो-खो, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल जैसे खेलों के जरिए बस्तर के युवाओं को नई पहचान देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में डायमंड बहुत है बस सही तरीके से पॉलिश की जरूरत है। वहीं, कार्यक्रम के लिए स्कूली बच्चे सुबह 9 बजे से पहुंच गए थे। यहां भीषण गर्मी में बच्चों को अलग-अलग गांव से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। टीचर ने बताया कि एक बस में 100 से ज्यादा बच्चों को बैठाकर लाया गया। जबकि बस 50 सीटर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और युवा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा भविष्य में भी इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल छिंदनार गाँव बुधवार को एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना,जहाँ क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर एवं मानदेशी फाउंडेशन द्वारा निर्मित मल्टी-स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मानदेशी फाउंडेशन की फाउंडर चेतना सिन्हा भी सचिन के साथ मौजूद रहीं, जो इस क्षेत्र में बुनियादी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिलकर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम में तेंदुलकर परिवार की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत में सचिन, सारा और सोनिया ने विभिन्न खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने न केवल बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित किया, बल्कि स्वयं भी उनके साथ शामिल होकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया। कार्यक्रम के दौरान रस्साकशी,वॉलीबॉल,दौड़ और खो-खो जैसे रोचक खेल आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लिया। इन गतिविधियों से बच्चों में टीम भावना,आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास हुआ। साथ ही, सचिन, सारा और सोनिया के सहयोग से बच्चों को प्रोत्साहन मिला और वे नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। उल्लेखनीय है कि छिंदनार के गांव के ही छात्र छात्राएं भूमिका ठाकुर, नियासा मौर्य, निर्मला तरमा, पायल ठाकुर, सीताराम पुनर्म, अमित कुमार द्वारा सचिन तेंदुलकर को खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

अच्छे इंसान बनो ताकि लोग आपको याद रखें : सचिन

कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हमें पता चला कि बस्तर में बच्चों के लिए ग्राउंड ही नहीं है। मेरी जिंदगी की शुरुआत मैदान से हुई थी। मैं बच्चों को देखता हूं जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई,हम मैदान में जाते हैं अच्छे कोच की जरूरत होती है। हमने सोचा था कि हम अपने कोच को यहां भेजेंगे ताकि वे 100 टीचर्स को ट्रेनिंग दें। यहां डायमंड बहुत हैं,बस सही तरीके से पॉलिश करना जरूरी है। यही उम्र है खेलने कूदने की। यही उम्र है दोस्त बनाने की। मैं समझता हूं जो एक सही दोस्त होता है वो आईना दिखता है,परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती,इसलिए ऐसे दोस्त रखो जो ऐसे ही बनकर रहे। मेरे पिता ने एडवाइस दी कि क्रिकेट कितने साल चलेगा,मैंने कहा 10 से 15 साल, मेरे पिता ने कहा था उसके बाद क्या? आप अच्छे इंसान बनो ताकि लोग आपको याद रखें।

महानदी जल विवाद मामले में ट्रिब्यूनल सख्त

छत्तीसगढ़-ओड़िशा दोनों राज्यों से मांगी ताजा रिपोर्ट,2 मई को होगी अगली सुनवाई

रायपुर,22 अप्रैल 2026। महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच जारी विवाद में अब ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपना लिया है। सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों को 10 दिनों के भीतर महानदी बेसिन में जल उपलब्धता से जुड़े ताज़ा और अद्यतन आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल ने 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क सुने। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि पहले प्रस्तुत आंकड़ों के बावजूद वर्तमान स्थिति के अनुसार अपडेटेड डेटा जरूरी है, ताकि वास्तविक जल उपलब्धता का आकलन किया जा सके।

महानदी बेसिन : आंकड़ों पर टिकी नजर

अधिकारियों के मुताबिक,महानदी बेसिन में कुल 14 प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। इनमें से 9 नदियाँ छत्तीसगढ़ में बहती हैं–महानदी,शिवनाथ,हसदेव,अरपा,खारुन,पैरी, सोंदूर,मंड और जोंक (ऊपरी हिस्सा)। वहीं ओडिशा में महानदी,इब,तेल,ओंग और जॉक (निचला हिस्सा) प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ओडिशा में नदियों की संख्या कम होने के बावजूद वे जल प्रवाह और डेल्टा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

मैदानी निरीक्षण के बाद बढ़ी गंभीरता : हाल ही में ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के महानदी बेसिन क्षेत्र का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया था। इस दौरान अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई।

निरीक्षण के बाद ही ट्रिब्यूनल ने अद्यतन आंकड़े फिर से मांगे हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

गर्मी में बढ़ी मांग,छत्तीसगढ़ ने जताई मजबूरी : सूत्रों के अनुसार,ओडिशा ने गर्मी के मौसम में अतिरिक्त पानी की मांग रखी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ने जल स्तर कम होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त पानी छोड़ने में असमर्थता जताई है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों में जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, ऐसे में अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

दीर्घकालिक समाधान के लिए नए प्रोजेक्ट्स जरूरी : दोनों राज्यों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि बिना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त जल उपलब्ध कराना मुश्किल है। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने नए प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव तैयार किए हैं और अधूरे निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने को लेकर भी सहमति बनी है।

5 साल के मासूम के गले में फंसा सिक्का,सिम्स के डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक तकनीक से बचाई जान

बिलासपुर,22 अप्रैल 2026। समय पर इलाज,आधुनिक तकनीक और डॉक्टरों की तत्परता ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में 5 वर्षीय बच्चे के गले में फंसे सिक्के को एंडोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक निकालकर चिकित्सकों ने एक बार फिर अपनी दक्षता और टीमवर्क का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

खेलते-खेलते बच्चे के गले में फंसा सिक्का

जानकारी के अनुसार,धवलपुर (जिला चिरमिरी) निवासी 5 वर्षीय नितिन सिंह सोमवार शाम करीब 7 बजे खेलते-खेलते 5 रुपये का सिक्का निगल गया, जो उसके गले में जाकर फंस गया। सिक्का श्वसन मार्ग के पास अटकने से बच्चे को सांस लेने में गंभीर दिक्कत होने लगी और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन तत्काल बच्चे को सिम्स लेकर पहुंचे,जहां आपात स्थिति को देखते हुए बिना देरी के इलाज शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सूचना दी। मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति को फोन कर इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिष्ठाता के मार्गदर्शन में ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. आरती पांडे के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम गठित की गई। टीम में डॉ. विद्या भूषण साहू,डॉ. श्वेता मित्तल,डॉ. तन्मय गौतम,डॉ. बरसे महादेव तथा एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. मधुमिता मूर्ति के निर्देशन में डॉ. यशा तिवारी और डॉ. बलदेव नेताम शामिल रहे।

एंडोस्कोपिक तकनीक से सफल ऑपरेशन

बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया, जहां अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करते हुए सटीक और सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई गई। एंडोस्कोपिक विधि के माध्यम से बिना किसी बड़े चीरे के,विशेष उपकरणों की सहायता से गले में फंसे सिक्के को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान एनेस्थीसिया टीम ने बच्चे की सांस और जीवनरक्षक संकेतों को पूरी सतर्कता से नियंत्रित रखा। डॉक्टरों की सूझबूझ, सटीक तकनीक और बेहतर समन्वय के चलते कुछ ही समय में ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बच्चे की जान बच गई। वर्तमान में बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और चिकित्सकों की निगरानी में तेजी से स्वस्थ हो रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने की सराहना

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 'सिम्स की टीम ने जिस तत्परता और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बच्चे की जान बचाई, वह अत्यंत सराहनीय है। राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है और सिम्स इसका उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। ' सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने बताया कि 'बच्चे की स्थिति अत्यंत नाजुक थी।

एंडोस्कोपिक तकनीक के माध्यम से हमने बिना विलंब के सटीक हस्तक्षेप किया, जिससे जटिलता से बचते हुए सुरक्षित रूप से सिक्का निकाला जा सका। सिम्स में अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के कारण हम इस प्रकार की आपात स्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल पा रहे हैं। 'चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा कि 'यह सफलता सिम्स की मजबूत टीमवर्क, त्वरित निर्णय क्षमता और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का परिणाम है। हमारे यहां हर मरीज के लिए 24×7 समर्पित सेवाएं उपलब्ध हैं।

गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड ने 3 मंजिला इमारत से लगाई छलांग

युवक की मौत,युवती की हालत नाजुक छत पर मिली शराब की बोतल और कपड़े

बिलासपुर,22 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 मंजिला इमारत से बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड ने छलांग लगा दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के बीच करीब 3 साल से अफेयर था। युवक पहले ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहता था। कॉलोनी में उसकी पहचान थी। घटना वाली रात दोनों बिल्डिंग की छत पहुंचे थे। छत पर शराब की बोतल, गिलास, कपड़े, कंबल और बेडशीट भी मिले हैं, जिससे लगता है कि दोनों ने वहां शराब पी थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों छत से कूद गए। छत का दरवाजा अंदर से बंद था,इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, घटना अभिलाषा परिसर में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 34 की है। बिल्डिंग से कूदकर नीचे गिरते ही युवक-युवती बुरी तरह से घायल हो गए। युवक दर्द से कराहते हुए चिल्लाने लगा। वहीं, युवती भी रोने लगी। कुछ ही देर में दोनों की आवाज बंद हो गई। इस बीच आवाज सुनकर लोग बाहर निकले तब दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे।

हाई कोर्ट का फैसला...एससी,एसटी एक्ट में अपराध साबित करने के लिए वैध जाति प्रमाणपत्र का होना जरुरी

बिलासपुर,22 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है, एससी, एसटी एक्ट में अपराध साबित करने के लिए वैध जाति प्रमाणपत्र का होना जरुरी है। याचिकाकर्ताओं की याचिका को कोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी छह महीने की सजा को रद्द कर दिया है। जुर्माने की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया है। यह राशि प्रत्येक याचिकाकर्ता को जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है, एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध साबित

करने के लिए आवश्यक है,अभियोजन यह साबित करे,पीड़ित अनुसूचित जाति,जनजाति से संबंधित है,और आरोपी उस वर्ग से नहीं है। जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा है, इसके लिए वैध जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बता दें,मामला 21 साल पुराना है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था,सरकारी जमीन पर दुकान निर्माण को लेकर विवाद के दौरान आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 294,323,506/34 और एससी,एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को धारा 294, 506 आईपीसी और 3(1)(आर) के तहत दोषी ठहराया था।

रायपुर में जिंदा पैंगोलिन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार,50 करोड़ बता रहे थे रेट

रायपुर,22 अप्रैल 2026। रायपुर में जिंदा पैंगोलिन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वन विभाग की टीम ने दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पैंगोलिन को तस्करों से रेस्क्यू भी कर लिया गया है। आरोपी शिकार करने के बाद उसे बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सौदेबाजी के दौरान वन विभाग को सूचना मिल गई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक तिवारी ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली की दो

व्यक्ति पैंगोलिन बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। मार्केट में इसका सौदा कर रहे हैं। इस सूचना पर वन विभाग की टीम को घेराबंदी के लिए मौके पर भेजा गया। आरोपियों की लोकेशन भाठागांव के पास रावण भाटा मैदान के पास जानकारी मिली।

सास की देखभाल नहीं करने पर बहू की नौकरी जाएगी : हाईकोर्ट

बिलासपुर,22 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद ने अपने फैसले में कहा है, अनुकंपा नियुक्ति व्यक्तिगत उपहार या विरासत में मिली संपत्ति नहीं है। यह पूरे परिवार को आर्थिक संकट से उबारने सरकार द्वारा दी जाने वली सहायता है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी कर रही बहू को हिदायत देते हुए कोर्ट ने कहा, सास के भरणपोषण का ख्याल रखे, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कोर्ट ने दोटूक कहा, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अंबिकापुर निवासी झांती तिवारी के पति घनश्याम तिवारी पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, वर्ष 2001 में निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद बेटे अविनाश तिवारी को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति मिली। दिसंबर 2021 में अविनाश तिवारी का सेवा के दौरान निधन हो गया। बेटे की मृत्यु के बाद बहू नेहा तिवारी को राज्य सरकार ने इस शर्त पर अनुकंपा नियुक्ति दी।

3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक : बिना अनुमति छुट्टी पर जाने पर सख्ती,आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई...

रायपुर,22 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है। यह फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के छुट्टी पर जाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। साथ ही अगले तीन महीनों तक इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम अधिकारी से छुट्टी मंजूर कराए बिना

अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो इसे सेवा में बाधा मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। बाद में कार्यालय पहुंचने पर इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी (अर्जित अवकाश आदि) पर जाता है तो उसे पहले अपने काम का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा।

सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने और बड़े सरकारी कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)